



सहकारिता विभाग



गाँव-घर, खेत-खलिहान का



समग्र विकास सहकारिता के साथ

वार्षिक प्रतिवेदन

2014-15



महुआवाँ पैक्स, शेरघाटी, गया



पैक्स गोदाम, मुशहरी, मधुबनी



बहिलवारा रुपनाथ दक्षिणी पैक्स, सरैया, मुजफ्फरपुर



ताजपुर पैक्स, शिवहर



निर्माणाधीन पैक्स गोदाम, मूसाचक बैरगनिया, सीतामढ़ी



निर्माणाधीन पैक्स गोदाम, सैदपुर



सहकारिता विभाग



गाँव-घर, खेत-खलिहान का



समग्र विकास सहकारिता के साथ

वार्षिक प्रतिवेदन

2014-15



माननीय मंत्री सहकारिता

संदेश

सहकारिता विभाग का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

सहकारिता के माध्यम से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कृषि साख की उपलब्धता, कृषि उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था, अधिप्राप्ति के माध्यम से कृषकों को उनके उत्पाद का उचित सरकारी समर्थन मूल्य प्राप्त कराना, फसलों की क्षति होने पर फसल बीमा के माध्यम से क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के साथ-साथ सहकारी समितियों में पूर्ण प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान कर आम जनों की भागीदारी सुनिश्चित करने का सफल प्रयास किया गया है। इस क्रम में पैक्सों को सुदृढ़ करते हुए इसे ग्रामीण विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

राज्य में द्वितीय हरित क्रान्ति की सम्भावनाओं को फलीभूत करने तथा हरित क्रान्ति को व्यापकता प्रदान कर सप्तरंगी क्रान्ति में तब्दील करने हेतु महत्वाकांक्षी कृषि रोड मैप तैयार की गई। कृषि रोड मैप के तहत दूरगामी योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता क्षेत्र में व्यापक आधारभूत संरचनाओं का विकास कर रही है, जिसके अन्तर्गत सहकारिता द्वारा पैक्सों/व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य सम्वर्द्धन हेतु बायोमास गैसीफायर आधारित चावल मिल की स्थापना, समान विकास-सह-विपणन आदि के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

वर्ष 2013 सहकारिता आंदोलन के लिए राज्य में हमेशा याद किया जाएगा, जिसमें बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 में कतिपय संशोधन कर सहकारी समितियों के प्रबंधन में पंचायत की भाँति महिलाओं को आरक्षण दिया गया। साथ ही, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के अंतर्गत निबंधित समितियों में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। समितियों की प्रबंधकारिणी का निर्वाचन स्वतंत्र एवं पारदर्शी ढंग से हो, इसके लिए इसका निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार करा रहा है। इस क्रम में वर्ष 2014 का पैक्स निर्वाचन पूर्ण निष्पक्षता के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

राज्य के विभाजन के पश्चात् बदले हुए परिदृश्य में लघु एवं सीमांत कृषकों, बटाईदार कृषकों, भूमिहीन मजदूरों एवं छोटे-छोटे कामगारों में अपेक्षित सुधार लाने में राज्य की सहकारी संस्थाएँ पूर्ण निष्ठा से कार्य कर रही हैं।

आशा है कि सहकारिता राज्य के विकास का एक नया आयाम बनेगा।

जय किसान! जय जवान! जय विज्ञान! जय सहकारिता।

जय हिन्द!

J. K. Karmar
(जय कुमार सिंह)

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1-3
2	विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ	4-5
3	योजनायें एवं उपलब्धियाँ	-
	i. समेकित सहकारी विकास परियोजना	6-8
	ii फसल बीमा योजना	-
	(क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	9-10
	(ख) मौसम आधारित फसल बीमा योजना	10
	(ग) संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	11
	iii राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	12
	iv अधिप्राप्ति	13-14
	v वार्षिक योजना	14
4	सहकारी कृषि साख एवं उपलब्धियाँ	-
	I अल्पकालीन सहकारी कृषि साख (त्रिस्तरीय ढाँचा)	15
	i. राज्य सहकारी बैंक लि.	16
	ii. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	16-18
	iii. प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स)	18
	II प्रोफेसर बैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसाओं पर आधारित पुनरोद्धार योजना	19
5	सुशासन के कार्यक्रम	20-22
6	सहकारी समितियों का लेखा अंकक्षण	23
7	महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान	-
	i. बिहार राज्य सहकारी संघ लि.	24
	ii. बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ लि.	24
	iii. केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार	25
	iv प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार	25
	v. व्यापार मंडल	25-26
8	बिहार राज्य भंडार निगम	27-29
परिशिष्ट— I	विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ	30
परिशिष्ट— II	राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या	31
परिशिष्ट— III	विभिन्न योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण एवं गैसीफायर आधारित राईस मिल की स्थापना से सम्बन्धित प्रतिवेदन	32-33
परिशिष्ट— IV	विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना	34
परिशिष्ट— V	सहकारिता विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय	35-36

1. प्रस्तावना

सहकारिता विभाग का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन बिहार सरकार के “न्याय के साथ समग्र विकास” की अवधारणा के सह-प्रयास के रूप में आपके समक्ष उपस्थापित है। राज्य के सहकारी आन्दोलन का इतिहास बहुत ही गौरवमयी है। आर्थिक जगत में सहकारी अर्थव्यवस्था, निजी अर्थव्यवस्था एवं सरकारी अर्थव्यवस्था के बीच का मध्यम मार्ग है। भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं कठिन प्रतिस्पर्धा में विकसित होने के लिए सहकारी समितियों को गरीबों के कॉरपोरेट के रूप में ढालना आवश्यक प्रतीत होता है। इस कड़ी में समाज के पिछड़े तबकों, अल्पसंख्यकों, छोटे उत्पादकों एवं महिलाओं के समुह को प्रोत्साहित, संरक्षित एवं महिलाओं के सदस्यों को प्रोत्साहित एवं विकसित करने हेतु वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के विभाजन के पश्चात् विकास का एक मात्र सबल आधार कृषि है और कृषि, सहकारिता के लिए अनुप्राणित होती है। सहकारिता विभाग राज्य के किसानों के हित में राज्य सरकार के कृषि रोड मैप का हमसफर बन कर कृषि विकास के लिए तत्पर है। वर्तमान के सामाजिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिवेश में सहकारिता को प्रासंगिक एवं सबल बनाने हेतु सरकार सदैव प्रयत्नशील है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का सबल आधार ग्रामीण क्षेत्र ही है। इसकी उपेक्षा कर एक सशक्त भारत के निर्माण की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहकारिता की अहम भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा बदले हुए माहौल में सहकारी नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन लाया गया है। सहकारिता को और अधिक प्रासंगिक बनाने हेतु अनेक संस्थागत सुधार किये गये हैं। साथ ही, सहकारी समितियों के कार्यकलापों को और पारदर्शी बनाने हेतु बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 में आवश्यक संशोधन किये गये हैं।

वर्ष 2012 सहकारिता आन्दोलन के लिए एक एतिहासिक एवं क्रान्तिकारी वर्ष के रूप में दर्ज है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2012 को अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था। इस उपलक्ष्य में राज्य में भी अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया गया जिसके अन्तर्गत पैक्सों में विशेष सदस्यता अभियान चलाया गया। सहकारी समितियों के खाली पड़े जमीन पर वृक्षारोपण के साथ-साथ राष्ट्रीय सहकारी महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रचार-प्रसार के लिए सहकारी संस्थाओं में पोस्टर-बैनर इत्यादि लगाया गया।

वर्ष 2013 सहकारिता आंदोलन के लिए राज्य में हमेशा याद किया जाएगा, जिसमें बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 में कतिपय संशोधन कर सहकारी समितियों के प्रबंधन में पंचायत की भाँति महिलाओं को आरक्षण दिया गया। जबकि बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के अंतर्गत निबंधित समितियों में भी महत्वपूर्ण संशोधन वर्ष 2013 में किया गया, जिसके आलोक में उनकी प्रबंधकारिणी का निर्वाचन अब स्वतंत्र एवं पारदर्शी ढंग से बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार करा रहा है।

बिहार की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका को रेखांकित करने के लिए विगत वर्षों में जिन कार्यक्रमों को प्रमुखता दी गयी है वे निम्नवत हैं :-

- प्रोफेसर बैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसाओं एवं वैश्विक उदारीकरण द्वारा बदले हुए परिवेश में सहकारी नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन

- बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2011 का अधिनियमन— इसके अन्तर्गत बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित सभी प्रकार की सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से कराने हेतु बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन।
- पैक्सों को व्यापक जनाधार वाली संस्था के रूप में विकसित करने हेतु सदस्यता वृद्धि अभियान। इस अभियान के अन्तर्गत पंचायत के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को सदस्य बनाने का प्रयास। वंचित वर्गों की भागीदारी के लिए सरकार में कानून बनाकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े वर्गों के लिए प्रबंधन/निदेशक मंडल में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- व्यापार मंडल, मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का पुनर्गठन के पश्चात् बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल।
- बिहार राज्य सहकारी बैंक, बिस्कोमान, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, बुनकर सहकारी समितियों में भी निर्वाचन प्राधिकार से निर्वाचन करा कर प्रजातांत्रिक प्रबंधन की बहाली।
- मौसम आधारित फसलबीमा योजना (WBCIS) से खरीफ 2013 एवं खरीफ 2014 में राज्य के 31 जिले जबकि रबी 2012-13 एवं रबी 2013-14 में राज्य के सभी 38 जिले एवं मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) में खरीफ 2013 एवं खरीफ 2014 में राज्य के 7 जिले आच्छादित। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) खरीफ 2012, रबी 2012-13 खरीफ 2013, रबी 2013-14 एवं खरीफ 2014 में स्थगित थी। पुनः रबी 2014-15 में यह योजना सभी 38 जिलों में लागू की गई है।
- मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी 2013-14 में 21,53,117 कृषकों का 5018.99 करोड़ रु. का फसल बीमित किया गया है एवं खरीफ 2013 में 14,13,827 कृषकों को 550.92 करोड़ रु. का क्षतिपूर्ति भुगतान किया गया है। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत रबी 2011-12 एवं खरीफ 2013 मौसम में क्रमशः 2986 एवं 158849 कृषकों को 1.72 करोड़ रु. एवं 134.14 करोड़ रु. का क्षतिपूर्ति भुगतान।
- वर्ष 2014-15 में 24.00 लाख मे. टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 19.02.2015 तक 5.15 लाख मे. टन अधिप्राप्ति की गई है।
- भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु बिहार राज्य भण्डार निगम को वर्ष 2014-15 में 2.50 लाख मे. टन गोदाम निर्माण हेतु कुल लागत 143.75 करोड़ का 10% की राशि राज्य सरकार द्वारा 14.375 करोड़ अनुदान के रूप में दिया गया।
- वर्ष 2014-15 में कृषि रोड मैप अन्तर्गत भंडारण क्षमता में वृद्धि हेतु कुल 1121 पैक्स एवं व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण करने की योजना के तहत पैक्स/व्यापार मण्डलों में कुल 3.261 लाख मे. टन भंडारण क्षमता के अभिवृद्धि हेतु 146.3208 करोड़ रु. आवंटन आदेश निर्गत कर दिया गया है। जिसमें से कुल 78.54 करोड़ रुपये समितियों को उपलब्ध कराया जा चुका है। 19.01.2015 तक कुल 262 समितियों में गोदाम निर्माण का कार्य पूरा करा लिया गया है, एवं 781 में निर्माणाधीन है।
- वर्ष 2014-15 में कृषि रोड मैप अन्तर्गत 112 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गैसीफायर—सह—चावल मिल स्थापित किया जाना है, जिसके लिए कुल 38.68 करोड़ रुपये का आवंटन आदेश निर्गत है, जिसमें से

23.73 करोड़ रुपये समितियों को निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध करा दिया गया है, शेष राशि निकासी के क्रम में प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2014-15 के 19.01.2015 तक 17 पैक्सों/व्यापार मंडलों में (आई0सी0डी0पी0 सहित) निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है एवं 103 निर्माणाधीन हैं।

- राज्य के सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं बिहार राज्य सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हो चुका है एवं सभी सहकारी बैंकों को Core Banking Solution (CBS) के अंतर्गत कार्य संचालित किया जा रहा है। अल्पकालीन सहकारी साख संरचना यथा पैक्स, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं बिहार राज्य सहकारी बैंक के पुनर्जीवन हेतु भारत सरकार द्वारा गठित बैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसा पर आधारित पुनरोद्धार पैकेज का क्रियान्वयन किया गया, जिसके अंतर्गत इन संस्थाओं के दिनांक 31.03.04 की तिथि पर संचित हानि की भरपाई किया गया। साथ ही, इन संस्थाओं के संस्थागत एवं विधिगत सुधार किया गया। इस योजना के क्रियान्वयन की अवधि 30.06.11 तक विस्तारित थी।

इस पैकेज के क्रियान्वयन के फलस्वरूप इन संस्थाओं की दिनांक 31.03.04 तक की कुल संचित हानि 843.53 करोड़ की स्वीकृति SLIC द्वारा की गई है, जिसमें भारत सरकार, बिहार सरकार एवं संबंधित संस्था का हिस्सा क्रमशः 634.48 करोड़, 46.37 करोड़ एवं 162.68 करोड़ है। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि कुल 46.37 करोड़ में से कुल 45.20 करोड़ (अपुनरीक्षित दावा) का भुगतान किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि मो0 634.68 करोड़ में से कुल 265.06 का भुगतान किया गया है। शेष राशि कुल 369.42 करोड़ भारत सरकार से पावना है।

- राज्य के कृषि रोड मैप 2012-17 के अन्तर्गत कृषि के समग्र विकास एवं राज्य में द्वितीय हरित क्रान्ति की संभावनाओं को फलीभूत करने तथा हरित क्रान्ति को व्यापकता प्रदान कर सप्तरंगी क्रान्ति में तब्दील करने हेतु तैयार महत्वाकांक्षी योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के प्राप्ति में सहकारिता को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अन्तर्गत पैक्सों/व्यापार मंडलों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु पैक्सों में भंडारण क्षमता के अभिवृद्धि के लिए नये गोदामों का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संबर्धन हेतु वायोमास गैसीफायर आधारित राईस मिल की स्थापना, सामान्य व्यवसाय विकास-सह-विपणन आदि के लिए पैक्सों/व्यापार मंडलों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना आदि की व्यवस्था की जा रही है।
- समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत पैक्सों/व्यापार मंडलों के आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत गोदाम निर्माण कराये जा रहे हैं। परियोजनान्तर्गत रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों यथा मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन के विकास, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना एवं चयनित समितियों के माध्यम से कुटीर उद्योगों के विस्तार तथा पणन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन कार्यों के लिए आधारभूत संरचना के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के साथ-साथ समितियों में व्यवसाय विकास के लिए मार्जिन मनी के रूप में सहायता देने का प्रावधान है। मानव संसाधन के विकास हेतु गहन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के 08 जिलों में यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। जबकि 05 जिलों में परियोजना प्रारंभ होने की प्रक्रिया में है। 12 जिले इस योजना से आच्छादन की प्रक्रिया में है।

2. विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ :-

क्र.सं.	योजना	बीमित कृषकों की संख्या	बीमित राशि/उपलब्धि
1	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS)		
	(क) खरीफ 2010 मौसम	884201 कृषक	2053.37 करोड़ रु. का फसल बीमित
	(ख) खरीफ 2011 मौसम	332669 कृषक	836.34 करोड़ रु. का फसल बीमित
	(ग) रबी 2011-12	4689 कृषक	14.47 करोड़ रु. का फसल बीमित
2	मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS)		
	(क) रबी 2012-13 मौसम	1637202 कृषक	4220.24 करोड़ रु. का फसल बीमित
	(ख) खरीफ 2013 मौसम	1433798 कृषक	3324.98 करोड़ रु. का फसल बीमित
	(ग) रबी 2013-14 मौसम	2153117 कृषक	5018.99 करोड़ रु. का फसल बीमित
	(घ) खरीफ 2014 मौसम	1849160 कृषक	3826.65 करोड़ रु. का फसल बीमित
3	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS)		
	(क) रबी 2011-12 मौसम	40360 कृषक	107.98 करोड़ रु. का फसल बीमित
	(ख) खरीफ 2012 मौसम	344729 कृषक	852.15 करोड़ रु. का फसल बीमित
	(ग) खरीफ 2013 मौसम	431131 कृषक	984.14 करोड़ रु. का फसल बीमित
	(घ) खरीफ 2014 मौसम	454558 कृषक	492.42 करोड़ रु. का फसल बीमित
4	अधिप्राप्ति		
	(ख) खरीफ 2013-14 मौसम (धान)	5605 पैक्सों द्वारा	11.15 लाख मे.टन
	(ख) खरीफ 2014-15 मौसम (धान)	5674 पैक्सों/व्यापारमंडल द्वारा	5.15 लाख मे.टन (19.02.2015 तक)
5	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/राज्य योजना		
	(क) वर्ष 2014-15 में पैक्स/व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण हेतु	लक्ष्य (राज्य योजना) 1121	उपलब्धि (राज्य योजना, RKVY एवं ICDP) 262 (पूर्ण) 781 (निर्माणाधीन)
	(ख) वर्ष 2014-15 में पैक्स/व्यापार मंडल में गैसीफायर-सह-चावल मिल की स्थापना हेतु	112	17 (पूर्ण) 103 (निर्माणाधीन)
6	कृषि रोड मैप		
	(क) वर्ष 2014-15 में गोदाम निर्माण	लक्ष्य - 1121	146.3208 करोड़ रु. स्वीकृत
	(ख) वर्ष 2014-15 में गैसीफायर के साथ चावल मिल की स्थापना	112 पैक्स एवं व्यापार मंडल चयनित	38.68 करोड़ रु. विमुक्त
	(ग) वर्ष 2014-15 में बिहार राज्य भंडार निगम को 2.50 लाख मे.टन क्षमता गोदाम निर्माण हेतु	—	निर्माण हेतु कुल लागत 143.75 करोड़ रु. का 10% की राशि 14.37 करोड़ उपलब्ध कराया गया
7	अल्पकालीन कृषि ऋण का वितरण		
	(क) 2014-15 खरीफ मौसम हेतु	91874 सदस्य	21089.39 लाख रु. वितरित
	(ख) 2014-15 रबी मौसम हेतु (दिसम्बर 2014 तक)	18904 सदस्य	4793.93 लाख रु. वितरित
8	किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण (दिसम्बर 2014 तक)	956498 किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत	131006.38 लाख रु. स्वीकृत

9	समेकित सहकारी विकास परियोजना		
	(क) कार्यान्वित किये जा रहे जिले	08 जिला कैमूर, खगड़िया, शिवहर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अररिया एवं मोतिहारी	25385.08 लाख रु. की लागत से
	(ख) जिला जो प्रारंभ होने की प्रक्रिया में है।	05 जिला औरंगाबाद, दरभंगा, बेगुसराय, पूर्णियाँ एवं बेतिया	
	(ग) जिला जो आच्छादन होने की प्रक्रिया में है।	12 जिला लखीसराय, जमुई, अरवल, पटना, नवादा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर।	
10	समेकित सहकारी विकास परियोजना का भौतिक उपलब्धि		
	(क) पैक्सों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये गये जिलों में)	373	
	(ख) पैक्सों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में)	515	
	(ग) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये गये जिलों में)	69	
	(घ) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में)	20 का कार्यादेश निर्गत 08 पूर्ण	
	(ङ) परियोजनान्तर्गत प्रशिक्षित सहकारी समितियों के पद धारक/सदस्य	कार्यान्वित जिले में 139399	कार्यान्वित की जा रही जिले में 4122 (दिसंबर 2014 तक)
11	समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत व्यवसायिक उपलब्धि (वर्ष 2013-14)	15322.42 लाख का व्यवसाय (दिसंबर 14 तक)	
12	बैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसा पर आधारित पुनरोद्धार योजना		
	(क) अल्पकालीन साख सहकारी संस्थाओं हेतु कुल स्वीकृत पैकेज	8448 पैक्स 22 केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक हेतु	843.57 करोड़ रु. का पैकेज
	(ख) स्वीकृत पैकेज में राज्य सरकार की हिस्सेदारी	पैक्स, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक हेतु	46.38 करोड़ रु. कुल प्रस्तावित 45.70 करोड़ रु. विमुक्त
	(ग) स्वीकृत पैकेज में भारत सरकार की हिस्सेदारी	पैक्स, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक हेतु	634.56 करोड़ रु. कुल प्रस्तावित 265.05 करोड़ रु. विमुक्त
	(घ) स्वीकृत पैकेज में अल्पकालीन सहकारी संस्थाओं की हिस्सेदारी	पैक्स, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक हेतु	162.63 करोड़ रु.

3. योजनायें एवं उपलब्धियाँ :-

i- समेकित सहकारी विकास परियोजना

राज्य के सहकारी क्षेत्रों को ढाँचागत सुविधा उपलब्ध कराने तथा सहकारिता को सबल बनाने के उद्देश्य से यह परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में चयनित विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों विशेषकर पैक्सों/व्यापार मंडलों में अधिसंरचना निर्माण (गोदाम-सह-कार्यालय), व्यवसाय विकास एवं सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना है। साथ ही मत्स्य पालन, बुनकर, मधुमक्खी पालन, कुकुट पालन, बकरी पालन, कृषि प्रसंस्करण, महिला विकास, पणन आदि का भी विकास करना है। इस योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से राज्य सरकार को ऋण एवं अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है। निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान का अनुपात करीब 25 प्रतिशत है। यह राशि निगम द्वारा राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति (Re-imbursement) के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। स्थापना आदि खर्च के लिए प्रावधानित अनुदान की राशि में निगम एवं राज्य सरकार का अनुपात 50-50 का है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर निबंधक, सहयोग समितियाँ के अधीन एक अनुश्रवण कोषांग गठित है। जिसके प्रमुख राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी हैं। जिला स्तर पर जिला कार्यान्वयन दल का गठन किया जाता है जिसके प्रमुख महाप्रबंधक होते हैं तथा महाप्रबंधक के अधीन प्रबंधक साख, विकास पदाधिकारी एवं अन्य कार्मिक पदस्थापित होते हैं। इस परियोजना की अवधि पाँच वर्ष निर्धारित है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने के निमित्त राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष उस जिला, जहाँ यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, के जिला पदाधिकारी होते हैं। परियोजना के सफल संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिक चयन समिति भी गठित है।

इस परियोजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण प्राप्त कर पैक्सों को ऋण, हिस्सा पूंजी एवं अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम बनवाये जा रहे हैं। परियोजना के उद्देश्यों में कृषि विकास के लिए पैक्सों/व्यापार मंडलों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम यथा मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन के विकास, परिसंस्करण इकाई की स्थापना एवं समितियों के माध्यम से कुटीर उद्योगों के विकास तथा पणन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। मानव संसाधन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत समितियों के प्रबंधकों, निदेशक मंडल के सदस्यों एवं आम सदस्यों को प्रबंधकीय विकास, वित्तीय प्रबंधन एवं व्यवसाय विकास हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि समितियों के निर्वाचित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों एवं व्यवहारिक पक्षों का ज्ञान हो जिसका प्रतिफल समितियों के सफल संचालन एवं होने वाले लाभों के रूप में प्राप्त हो।

कार्यान्वित किये जा रहे परियोजना की प्रगति निम्नवत है -

1. परियोजना लागत एवं व्यय

(राशि लाख रु. में)

क्रम	जिला का नाम	ऋण/चक्रीय पूंजी	हिस्सा पूंजी/एल.डी./यू.डी. के अतिरिक्त	अनुदान	कुल योग	कुल व्यय 31.03.2014 तक	कुल व्यय 2014-15 (दिसम्बर 14 तक)	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कैमूर	756.660	34.830	307.110	1,098.600	800.450	26.180	826.630
2	खगड़िया	1,055.250	68.490	448.110	1,571.850	652.020	15.330	667.350
3	शिवहर	698.800	131.280	345.270	1,175.350	617.064	59.376	676.440
4	वैशाली	2,664.690	334.125	1,217.935	4,216.750	1,802.400	377.590	2,179.990
5	नालंदा	2,070.512	293.950	916.758	3,281.220	1,300.350	70.780	1,371.130
6	जहानाबाद	605.075	415.845	431.310	1,452.230	58.750	191.755	250.505
7	अररिया	1,572.550	826.525	1,140.275	3,539.350	1.750	281.684	283.434
8	मोतिहारी	4,157.350	2,316.920	2,417.460	8,891.730	1.750	424.756	426.506
9	रा.अनु.को.	-	-	158.000	158.000	86.840	19.250	106.090
कुल योग :		13,580.887	4,421.965	7,382.228	25,385.080	5,321.374	1,466.701	6,788.075

2. गोदाम निर्माण

क्रम	जिला का नाम	पैक्स गोदाम निर्माण			व्यापार मंडल का गोदाम निर्माण		
		गोदाम निर्माण का लक्ष्य	कार्यादेश निर्गत	कार्य प्रारंभ/पूर्ण	गोदाम निर्माण/मरम्मत का लक्ष्य	कार्यादेश निर्गत	कार्य प्रारंभ/पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कैमूर	71	71	71 / 58	4	3	3 / 1
2	खगड़िया	85	64	64 / 52	7	3	3 / 0
3	शिवहर	40	40	40 / 39	5	0	0 / 0
4	वैशाली	172	155	155 / 117	14	8	8 / 4
5	नालंदा	108	103	103 / 96	10	5	5 / 3
6	जहानाबाद	23	13	13 / 11	5	1	1 / 0
7	अररिया	134	30	29 / 00	6	0	0 / 0
8	मोतिहारी	235	40	40 / 00	18	0	0 / 0
कुल योग :		868	516	515 / 373	69	20	20 / 8

3. व्यवसाय विकास

(राशि लाख रु. में)

क्रम	व्यवसाय का प्रकार	वर्ष 2013-14 (मार्च 14 तक)	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर 14 तक)
1	2	3	4
1	कृषि (खाद एवं बीज)	3,462.09	1,848.84
2	अधिप्राप्ति	12,214.76	10,972.09
3	उपभोक्ता व्यवसाय	954.79	457.85
4	जमा वृद्धि	1,458.81	1,773.64
5	उपभोक्ता ऋण	197.04	270.00
कुल योग :		18,287.49	15,322.42

4. प्रशिक्षण

क्रम	प्रशिक्षण	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर 14 तक)
1	2	3
1	प्रबंधक	263
2	अध्यक्ष	659
3	कार्यकारिणी सदस्य	428
4	सामान्य सदस्य	2011
5	सेल्समैन/अन्य	761
कुल योग :		4122

अन्य उपलब्धियाँ :- 21 समितियों में गैसीफायर आधारित चावल मिल की स्थापना, 12 समितियों में चावल मिल की स्थापना, 5 समितियों में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु गैसीफायर की स्थापना, 80 पैक्सों में पूर्व निर्मित गोदामों की मरम्मत, 30 समितियों में कम्पोजिट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, 30 समितियों में एग्री विलनीक की स्थापना, 22 समितियों में वर्मी कम्पोस्ट ईकाई की स्थापना, 13 समितियों में सिंचाई हेतु बोर-बेल की स्थापना, 18 समितियों को मत्स्य पालन हेतु आर्थिक सहायता, 26 महिला सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता, 42 बुनकर समितियों को आर्थिक सहायता, 5 दाल मिल की स्थापना, 54 समितियों में मुर्गी पालन ईकाई की स्थापना, 3 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता, 3 समितियों को बकरी पालन हेतु आर्थिक सहायता, झंझारपुर व्यापार मंडल में गैसीफायर सहित मखाना प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, जमालहाता बुनकर सहयोग समिति, सीवान में गैसीफायर की स्थापना तथा आरा व्यापार मंडल, आरा में एल.पी.जी. गैस गोदाम की स्थापना।

आच्छादित किये जाने वाले जिलों के संबंध में प्रतिवेदन :-

01. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा परियोजना लागू करने हेतु नव स्वीकृत जिला - औरंगाबाद, दरभंगा, बेगुसराय, पूर्णियाँ एवं बेतिया।
02. सलाहाकार संस्था द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का मसौदा प्रतिवेदन समर्पित जिला - लखीसराय, कटिहार, सहरसा एवं सुपौल।
03. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा परियोजना लागू करने हेतु स्वीकृत जिला - अरवल, पटना, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर।
04. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को परियोजना स्वीकृति हेतु प्रेषित जिला - मुंगेर।
05. राज्य के शेष 4 जिलों यथा किशनगंज, मधेपुरा, समस्तीपुर एवं शेखपुरा को भी समेकित सहकारी विकास परियोजना अंतर्गत आच्छादित करने की योजना है।

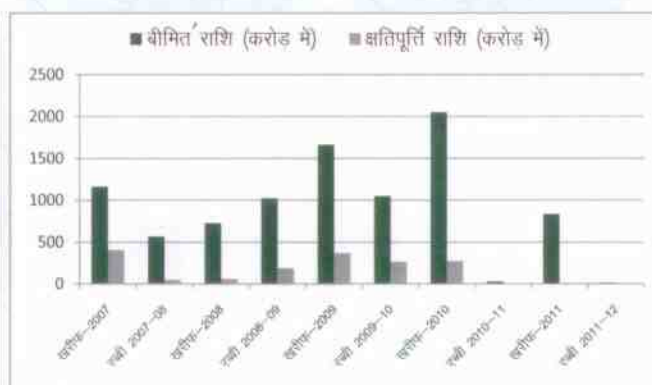
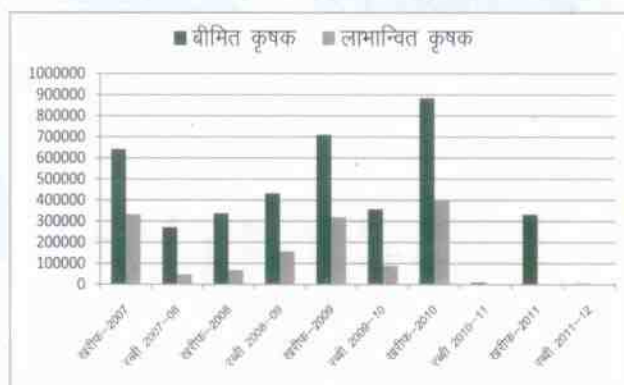
ii- फसल बीमा योजना :-

प्राकृतिक आपदाओं यथा – बाढ़, सुखाड़, तुषारापात, तापमान में परिवर्तन, असामयिक वर्षा एवं पाला इत्यादि कारणों से फसल की क्षति होने पर वित्तीय सहायता प्रदान कर अगली फसल लगाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में निम्न फसल बीमा योजनायें लागू हैं :-

(क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) – यह योजना वर्ष 2000 से राज्य में लागू है। रब्बी 2007-08 मौसम के पहले यह योजना राज्य के सभी 38 (अड़तीस) जिलों में लागू किया जाता था। खरीफ-2012, रब्बी 2012-13, खरीफ-2013, रब्बी 2013-14 एवं खरीफ-2014 में यह योजना स्थगित थी। पुनः रब्बी 2014-15 मौसम में यह योजना राज्य के सभी 38 (अड़तीस) जिलों में लागू की गयी है। इस योजना हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी ए.आई.सी. बीमा कंपनी है। इस योजना में क्षतिपूर्ति राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है। लघु एवं सीमान्त कृषकों के प्रीमियम राशि में भी 10% का अनुदान केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की प्रगति निम्नवत है :-

क्रमांक	मौसम का नाम	बीमित कृषक	बीमित राशि (करोड़ में)	लाभान्वित कृषक	क्षतिपूर्ति राशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1	खरीफ-2007	641874	1163.19	332291	410.17
2	रब्बी 2007-08	271171	568.85	47043	49.83
3	खरीफ-2008	337638	726.93	67609	61.23
4	रब्बी 2008-09	432258	1024.74	157455	189.35
5	खरीफ-2009	710557	1664.04	319678	370.71
6	रब्बी 2009-10	357287	1049.68	88934	265.19
7	खरीफ-2010	884201	2053.37	395144	273.25
8	रब्बी 2010-11	9501	30.58	401	0.14
9	खरीफ-2011	332669	836.34	2609	1.27
10	रब्बी 2011-12	4689	14.47	270	1.46



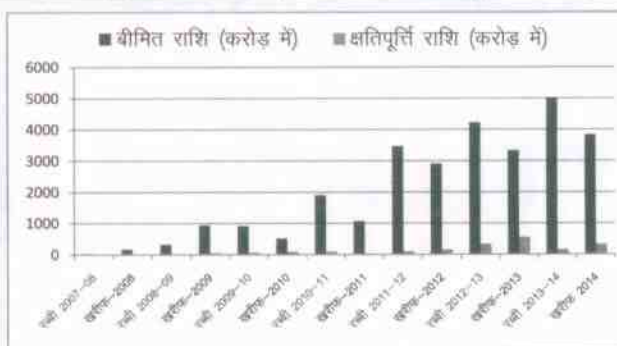
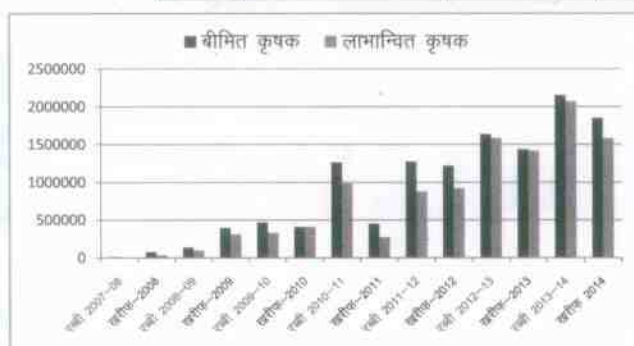
(ख) मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) – यह योजना रबी 2007-08 मौसम से राज्य में लागू है। खरीफ-2012, खरीफ-2013 एवं खरीफ-2014 मौसम में राज्य के 31 जिले इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित किये गये हैं। रबी 2012-13 एवं रबी 2013-14 मौसम में राज्य के सभी 38 जिले इस योजना से आच्छादित हैं। इस योजना के तहत तापमान में परिवर्तन, असामयिक वर्षा एवं पाला आदि कारणों से फसल की क्षति होने पर क्षति के आकलन का प्रावधान है।

योजना की मुख्य विशेषतायें :-

- इस योजना में राज्य एवं केन्द्र सरकार का दायित्व मात्र प्रीमियम अनुदान तक ही सीमित है।
- क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी को ही वहन करना है।
- इस योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी पूर्व में एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि., पटना थी। परन्तु रबी 2009-10 मौसम से उक्त कंपनी के अतिरिक्त आई.सी.आई.सी.आई., लोम्बार्ड को भी बीमा कार्य हेतु अधिकृत किया गया एवं रबी 2011-12 मौसम से उपर्युक्त दोनों बीमा कंपनी के अतिरिक्त इफको टोकियो, एच.डी.एफ.सी.इरगो तथा चोला मंडलम बीमा कंपनियों को भी बीमा हेतु प्राधिकृत किया गया है। खरीफ 2013 एवं रबी 2013-14 मौसम में आठ तथा खरीफ 2014 मौसम में सात बीमा कंपनियाँ प्राधिकृत हैं।

मौसम आधारित फसल बीमा की प्रगति निम्नवत है :-

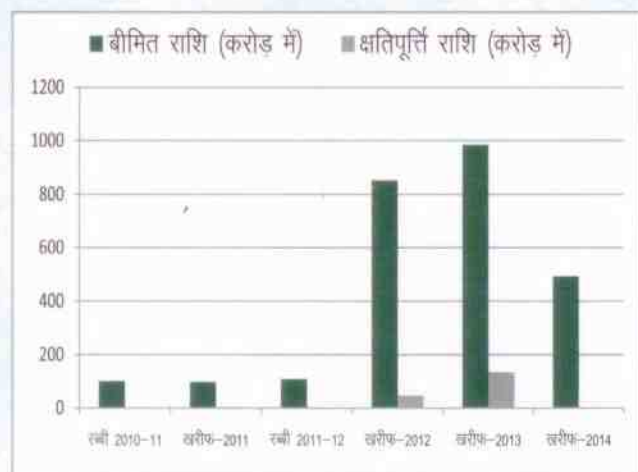
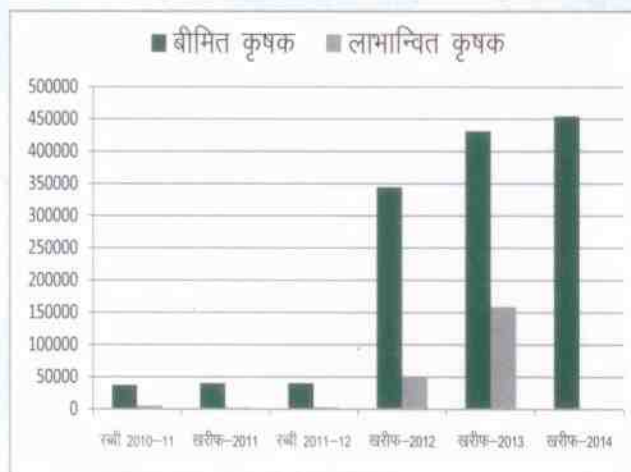
क्रमांक	मौसम का नाम	बीमित कृषक	बीमित राशि (करोड़ में)	लाभान्वित कृषक	क्षतिपूर्ति राशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1	रबी 2007-08	16158	27.73	10510	1.70
2	खरीफ-2008	78110	173.31	37435	4.87
3	रबी 2008-09	137544	320.52	96940	21.64
4	खरीफ-2009	396684	937.00	309908	51.96
5	रबी 2009-10	468514	913.08	329405	67.99
6	खरीफ-2010	408823	513.62	408559	88.99
7	रबी 2010-11	1264084	1902.09	983447	92.22
8	खरीफ-2011	450945	1068.75	269718	36.60
9	रबी 2011-12	1274347	3469.20	877541	96.56
10	खरीफ-2012	1219689	2912.48	922740	155.52
11	रबी 2012-13	1637202	4220.24	1584740	334.52
12	खरीफ-2013	1433798	3324.98	1413827	550.92
13	रबी 2013-14	2153117	5018.99	2072490	156.89
14	खरीफ 2014	1849160	3826.65	1582375	319.75



(ग) संशोधित (मोडिफाईड) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) – यह योजना रब्बी 2010-11 मौसम में राज्य के तीन जिले मुंगेर, जमुई एवं शिवहर में लागू किया गया था। अब यह योजना खरीफ 2012 मौसम से राज्य से 7 जिले यथा दरभंगा, मोतिहारी, खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं सीतामढ़ी में लागू किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी पूर्व में एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि., पटना थी। खरीफ 2012 मौसम से उक्त बीमा कंपनी के अतिरिक्त अन्य बीमा कंपनियाँ भी प्राधिकृत की जाती हैं। वित्तीय भार के मामले में राज्य सरकार का दायित्व मात्र प्रीमियम अनुदान तक ही सीमित है। क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी को ही वहन करना है। प्रीमियम अनुदान की राशि में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान 50:50 के अनुपात में है। यह योजना रब्बी 2012-13 एवं 2013-14 मौसमों में लागू नहीं किया गया है। खरीफ 2013 एवं खरीफ 2014 मौसम में भी यह योजना राज्य के उक्त सात जिलों में संचालित है।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की प्रगति निम्नवत है :-

क्रमांक	मौसम का नाम	बीमित कृषक	बीमित राशि (करोड़ में)	लाभान्वित कृषक	क्षतिपूर्ति राशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1	रब्बी 2010-11	37123	100.30	5133	3.22
2	खरीफ-2011	40127	97.29	2036	4.41
3	रब्बी 2011-12	40360	107.98	2986	1.72
4	खरीफ-2012	344729	852.15	51019	47.10
5	खरीफ-2013	431131	984.14	158849	134.14
6	खरीफ-2014	454558	492.42	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन



iii- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारम्भ वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय विकास परिषद की दिनांक 29.05.2007 की सम्पन्न बैठक के निर्णय के आलोक में इस राज्य में भी किया गया है। इस योजना के तहत सहकारिता प्रक्षेत्र के अन्तर्गत कृषि उत्पाद के संचयन में अभिवृद्धि के निमित्त गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। गोदाम निर्माण के साथ-साथ ग्रामीण विद्युतीकरण में पैक्सों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं पैक्सों को कुटीर उद्योग के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से पैक्सों/व्यापार मंडलों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित किये जा रहे हैं। इस योजना से राज्य के खाद्यान, उर्वरक एवं अन्य कृषि उत्पाद हेतु भंडारण क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उर्जा का स्रोत उपलब्ध होगा एवं पैक्सों को उद्योग के रूप में विकसित होने का अवसर प्राप्त होगा। इससे राज्य के लघु एवं सीमांत कृषकों को उनके कृषि उत्पाद के वैज्ञानिक भंडारण का लाभ मिलेगा।

इस योजना की अबतक की उपलब्धि निम्नवत् है :-

- इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में 1929.30 लाख एवं 2008-09 में 374.00 लाख रु. बिहार राज्य भंडार निगम को उपलब्ध कराते हुए 40 हजार मे.टन क्षमता का गोदाम निर्माण कराया गया है तथा 10000 मे.टन का अर्द्ध निर्मित गोदाम को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2012-13 में 326.00 लाख रु. उपलब्ध करा दिया गया है।
- वर्ष 2014-15 में राज्य योजनान्तर्गत 1121 पैक्स/व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है, जिससे कुल 3.261 लाख मे.टन भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाना है। इसके विरुद्ध वर्ष 2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक) में कुल 262 गोदामों का निर्माण कार्य पूरा किया जा सका, शेष निर्माणाधीन है।

कृषि रोड मैप

- वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि रोड मैप के अन्तर्गत 112 पैक्सो/ व्यापार मंडलों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित करने हेतु चयन कर 38.68 करोड़ रु. स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत राशि क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध करायी जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2012-17 तक बिहार राज्य भंडार निगम के लिए 10.00 लाख मे.टन क्षमता के गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 में 18 स्थलों पर 6.50 लाख मे.टन गोदाम क्षमता अभिवृद्धि के लिए गोदाम निर्माण का कार्य चल रहा है।

IV- अधिप्राप्ति

राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पादों का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित समर्थन मूल्य प्राप्त कराने के उद्देश्य से सहकारी समितियाँ धान/ गेहूँ का क्रय करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। जिसके अंतर्गत :-

- वर्ष 2014-15 में सहकारिता विभाग के सभी सक्षम पैक्स के साथ व्यापारमंडल को भी अधिप्राप्ति कार्य हेतु अधिसूचित किया गया है।
- इस प्रकार राज्य के प्रत्येक राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायतों एवं प्रखंडों को आच्छादित कर कृषकों को उनके उपज का समर्थन मूल्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान की गई है।
- इस वर्ष पहली बार अधिप्राप्ति कार्य में स्वच्छता एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण से पैक्स/व्यापारमंडल के अपने कार्य क्षेत्र के कृषकों का सभी वांछित सूचनाओं का DATA BASE तैयार कर उसके आधार पर ही अधिप्राप्ति कार्य करने का निर्णय लिया गया है।
- राज्य में पैक्सों/व्यापारमंडल सहयोग समिति लि. के माध्यम से कृषकों को तत्काल न्यूनतम समर्थन मूल्य @1360/रु. प्रति क्विंटल एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बोनस की राशि @300/रु. प्रति क्विंटल की दर से प्रदान कर कृषकों को कुल @1660/रु. प्रति क्विंटल की दर से उनके उपज का मूल्य प्रदान की जा रही है।
- वर्ष 2014-15 में पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से 24.00 लाख में. टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत इस वर्ष पहलीवार पैक्स/व्यापार मंडल के द्वारा संचालित चावल मिलों से 4.00 लाख में. टन चावल (CMR) आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा कृषकों को उनके समर्थन मूल्य के भुगतान हेतु, कुल 500 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है जिसे राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्सों द्वारा तत्काल भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
- इस वर्ष पहली बार सभी जिलों में कृषकों को उनके अधिप्राप्ति किए गए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य को सीधे उनके बैंक खाते के माध्यम से तुरंत भुगतान व्यवस्था को पूर्ण प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है।
- वर्ष 2014-15 में कृषकों को अपने उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 300/-रु प्रति क्विंटल के दर से बोनस दिया जा रहा है।

सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष वार धान/गेहूँ अधिप्राप्ति की प्रगति निम्नवत् है :-

(मात्रा लाख मे०टन में)

वर्ष	धान		गेहूँ	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2011-12	18.00	17.07	5.55	3.58
2012-13	22.00	15.85	12.00	4.15
2013-14	24.00	11.15	12.00	0.00
2014-15	24.00	5.15 (19.02.2015 तक)	12.00	0.00

V- वार्षिक योजना

वार्षिक योजना वर्ष 2014-15 के लिए राज्य योजना अन्तर्गत 84900.82 लाख रु. (पुनरीक्षित) एवं केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत 5769.95 लाख रु. कुल 90660.77 लाख रु. का उपबंध स्वीकृत था जिसके विरुद्ध 20 जनवरी 2015 तक राज्य योजना अन्तर्गत 71304.19 लाख रु. का व्यय किया गया।

वर्ष 2014-15 के लिए मदवार उपबंधित राशि एवं व्यय की गयी राशि निम्नवत् है :-

(राशि लाख रु० में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	उपबंधित राशि			व्यय की गयी राशि
		राज्य योजना पुनरीक्षित	केन्द्र प्रायोजित योजना	कुल राशि	
1	2	3	4	5	6
1	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (अनुदान)	1.00	—	1.00	0.00
2	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (क्षतिपूर्ति)	1.00	—	1.00	0.00
3	पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना (प्रीमियम)	37819.96	—	37819.96	37819.96
4	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत प्रीमियम अनुदान	11800.00	—	5954.95	11800.00
5	समेकित सहकारी विकास परियोजना	195.00	5759.95	—	0.00
6	विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण	32.00	—	32.00	0.00
7	विभागीय कार्यों के लिए प्रचार-प्रसार	75.00	—	75.00	5.29
8	प्रशिक्षण संस्थान, पूसा के नवीकरण	1.00	—	1.00	0.00
9	गोदाम निर्माण एवं मरम्मत हेतु सहकारी समितियों	14626.86	—	14626.86	7859.70
10	अल्पकालीन साख सहकारी संरचना के सुदृढीकरण हेतु अनुदान	1.00	—	1.00	0.00
11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3868.00	—	3868.00	2373.60
12	बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	3380.00	—	3380.00	1437.50
13	पैक्सों को मार्जिन मनी (ऋण)	1573.50	—	1573.50	0.00
14	पैक्सों को मार्जिन मनी (अनुदान)	526.50	—	526.50	0.00
15	सहकारिता विभाग का आधुनिकीकरण	1000.00	—	1000.00	8.14
16	न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति कार्य	10000.00	—	10000.00	10000.00
	कुल	84900.82	5759.95	90660.77	71304.19

4. सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। खास कर बिहार विभाजन के पश्चात् खनिज पदार्थ की रीयाल्टी झारखंड राज्य में चले जाने के कारण इस राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। सहकारिता कृषि का प्राण है। कृषि पर निर्भर रहने वाले कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल के मौसम में अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से ही है तथा सहकारिता विभाग इसमें सतत प्रयत्नशील है।

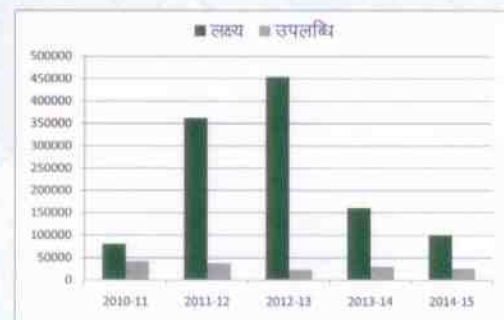
i. अल्पकालीन सहकारी कृषि साख (त्रिस्तरीय ढाँचा)

सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराने के निमित्त सहकारी समितियों की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. एवं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि. राज्य सरकार की गारंटी पर नाबार्ड से ऋण प्राप्त कर एवं अपने संसाधनों से जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के कृषक सदस्यों को निर्धारित माप दंड पर अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराती है। अल्पकालीन कृषि साख को सरल बनाने एवं ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारम्भ से 31.12.2014 तक 956498 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर 131006.38 लाख रु. स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्स सहकारी आन्दोलन के परिकल्पना के अनुरूप कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अल्पकालीन साख संरचना को सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाने के उद्देश्य से बैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसा के आलोक में अल्पकालीन साख संरचना को और अधिक सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाया गया है।

विगत 5 वर्षों में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की स्थिति निम्नवत् है :-

(रु० लाख में)

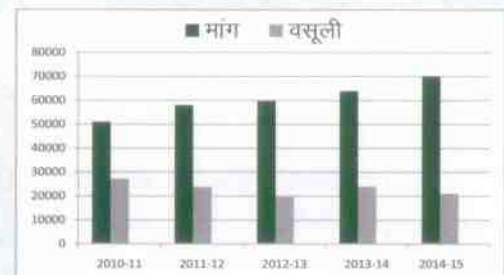
वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2010-11	80700.00	42189.21
2011-12	361362.00	38684.72
2012-13	453882.00	23610.70
2013-14	160000.00	30761.66
2014-15 (दिसम्बर तक)	100000.00	25883.32



विगत 5 वर्षों का अल्पकालीन सहकारी ऋण मांग एवं वसूली की प्रगति निम्नवत् है :-

(रु० लाख में)

वर्ष	मांग	वसूली	प्रतिशत
2010-11	50971.19	27126.87	53.22
2011-12	57881.90	23744.30	41.00
2012-13	59577.92	19491.37	32.71
2013-14	63747.23	23860.02	37.43
2014-15 (दिसम्बर तक)	69833.26	21006.57	30.08



i. राज्य सहकारी बैंक लि०

अल्पकालीन सहकारी कृषि साख की त्रिस्तरीय संरचनान्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० शीर्ष सहकारी संस्था है, जो राज्य स्तर पर सहकारी कृषि साख संरचना का नेतृत्व प्रदान कर रहा है। यह बैंक राज्य सरकार की गारंटी पर नाबार्ड से ऋण प्राप्त कर एवं अपने संसाधनों से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से पैक्सों के कृषक सदस्यों को अल्पकालीन कृषि साख (ऋण) उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

राज्य अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक की 16 शाखायें कार्यरत हैं जो सभी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हैं। इन शाखाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के साथ-साथ गैर कृषि यथा व्यक्तिगत ऋण, उपभोक्ता ऋण, गृह निर्माण, शिक्षा ऋण एवं कार ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। विगत कुछ वर्षों में इस बैंक की कार्य संस्कृति एवं कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन आया है जिसके फलस्वरूप यह बैंक कई वर्षों से लाभ में है।

इस बैंक का मुख्य उद्देश्य राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल के लिए उनके साख जरूरतों को पूरा करने हेतु जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंक और पंचायत स्तरीय प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्सों) के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराने के साथ-साथ वेतनभोगी एवं कमजोर तबके के लोगों को भी वांछित ऋण उपलब्ध कराना है। राज्य सहकारी बैंक के सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू है। बैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसा के आलोक में पुनरोद्धार योजनान्तर्गत राज्य सहकारी बैंक लि० के लिए भी 40.62 करोड़ का पैकेज स्वीकृत किया गया है।

विगत चार वर्षों में राज्य सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :-

(राशि लाख रू० में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
1	2	3	4	5	6
1	हिस्सा पूंजी	1959.28	1959.28	2084.53	2083.41
2	स्टेच्यूटरी रिजर्व	5415.42	6244.86	6244.85	9629.37
3	अन्य रिजर्व	12495.78	14067.02	14067.02	19970.60
4	ओन्ड फण्ड	43147.86	49299.60	49424.76	55224.55
5	जमा	159724.48	186608.37	128640.55	148333.06
6	उधार	14919.74	84635.54	57118.27	76713.48
7	कार्यशील पूंजी	236526.33	320543.51	340308.38	299617.77
8	निवेश	96581.24	104563.85	103300.84	124365.28
9	वकाया ऋण	98327.75	170981.54	216195.33	144676.04
10	अन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोफिट	2369.82	5355.17	5355.17	2412.03
11	ग्रौस एन.पी.ए.	18451.34	17528.70	17528.70	NA

ii. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०

केन्द्रीय सहकारी बैंक त्रिस्तरीय अल्पकालीन साख संरचना में राज्य सहकारी बैंक एवं पैक्स के बीच कड़ी का काम करता है। यह मध्यवर्ती वित्त पोषक बैंक है। यह बैंक प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) के केन्द्रीय समिति के रूप में अल्पकालीन कृषि साख संरचना में अपनी भूमिका का निर्वहन शत प्रतिशत कर रहा है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्राधीन

में सभी पैक्स अनिवार्य रूप से उसके सदस्य होते हैं। राज्य में कुल 22 (बाईस) केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। इन 22 केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से 18 केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने श्रोत से भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में सक्षम थे परन्तु 4 केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. यथा पूर्णियाँ, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। उन चारों केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजना के 6406.00 लाख रु. वित्तीय सहायता प्रदान कर भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त कराने हेतु सक्षम बनाया गया फलस्वरूप आज राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त हो गया है। राज्य में तीन केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा सारण, दरभंगा एवं मधेपुरा परिसमापनाधीन है। इन जिलों में कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराने के निमित्त राज्य सहकारी बैंक की शाखा/विस्तारित शाखा कार्य कर रहा है। जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है उन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक गठित करने की कार्यवाई की जा रही है। बैद्यनाथन कमिटी पुनरोद्धार पैकेज के तहत स्वीकृत 360.79 करोड़ रुपये का पैकेज में से राज्य सरकार की हिस्सेदारी 18.24 करोड़ रु. में से 15.48 करोड़ रु. विमुक्त कर सम्बन्धित बैंको को उपलब्ध करा दिया गया है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा उनके शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण का कार्य लगभग अन्तिम चरण में है। साथ ही सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू किया जा रहा है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :-

(रु० लाख में)

क्र. सं.	केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	हिस्सा पूंजी	जमा राशि	सुरक्षित निधि	ऋण एवं अग्रिम	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7
1	नालंदा	463.37	1230.00	242.56	4280.94	+ 48.00
2	पाटलीपुत्रा	553.14	23861.65	2401.85	4098.19	+ 50.00
3	मगध (गया)	538.66	3780.48	578.00	3662.05	NA
4	नवादा	713.53	3897.82	732.58	2660.46	NA
5	आरा	448.21	26653.02	863.01	3796.31	NA
6	रोहतास	500.00	6585.88	28.07	6532.91	+ 30.09
7	भागलपुर	4.30	12102.30	2.26	3.72	+ 14.05
8	मुंगेर	319.32	6492.63	1889.94	6403.08	NA
9	बेगूसराय	659.91	7302.99	170.28	5074.37	NA
10	पूर्णियाँ	1084.84	5000.00	815.92	6928.46	NA
11	मुजफ्फरपुर	1860.09	4500.00	345.34	3194.51	+ 38.78
12	सीतामढ़ी	336.30	7800.00	253.00	3957.97	+ 100.00
13	मधुबनी	1872.34	6500.00	238.13	5.32	NA
14	बेतिया	581.37	7248.00	145.26	3991.19	+ 35.38
15	मोतिहारी	1554.27	6000.57	1753.56	7602.57	+ 70.00

16	सिवान	530.52	9984.00	465.81	1099.76	+ 30.00
17	गोपालगंज	523.26	2370.30	342.15	6313.86	+ 149.49
18	औरंगाबाद	1374.96	7828.72	2270.04	4140.31	+ 35.40
19	खगड़िया	567.84	3032.59	79.80	4689.06	+ 16.00
20	कटिहार	1294.86	2270.97	561.75	3222.44	NA
21	वैशाली	5806.88	4577.67	66.44	1537.61	+ 0.95
22	समस्तीपुर	628.07	5414.50	253.62	5085.89	+ 15.00

iii. प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)

अल्पकालीन साख संरचनान्तर्गत प्राथमिक स्तर पर राज्य के प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। पैक्सों में आम जनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाता रहा है। पैक्सों में समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े/अतिपिछड़े वर्गों एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इनके एक हिस्सा राशि एवं सदस्यता शुल्क का भी भुगतान किया गया है। पैक्सों के प्रबंधन में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु आरक्षण की भी व्यवस्था है। पैक्सों को ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु संस्थागत सुधार भी किये गये हैं। फलस्वरूप पैक्सों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। पैक्सों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण के साथ-साथ खाद, बीज, कृषि यंत्र, कीटनाशक दवायें आदि भी प्रदान किया जा रहा है। पैक्सों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से जनवितरण प्रणाली के कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति भी प्रदान कराया गया है। पैक्सों के माध्यम से ही धान एवं गेहूँ की अधिप्राप्ति की जा रही है जिससे कृषकों को उनके उत्पाद का सरकार द्वारा घोषित उचित समर्थन मूल्य तो प्राप्त हो ही रहा है साथ ही साथ पैक्सों को भी कृषकों के हितकारी प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित संस्था के रूप में विकसित होने का अवसर प्रदान हो रहा है। भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं यथा समेकित सहकारी विकास परियोजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि रोड मैप अन्तर्गत गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। लघु उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि रोड मैप अन्तर्गत चावल मिल गैसीफायर के साथ चावल मिल भी स्थापित किये जा रहे हैं। पैक्सों को सामान्य व्यवसाय विशेषकर ऑफ सीजन में उर्वरक भंडारण हेतु कृषि रोड मैप अन्तर्गत मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ पैक्स जमावृद्धि व्यवसाय में भी संलग्न है तथा अपने स्रोत से कृषकों को अल्पकालीन ऋण मुहैया कराने में सक्षम हो रहे हैं।

विगत 5 वर्षों का पैक्स का वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :-

(रु० लाख में)

वर्ष	पैक्स की संख्या	सदस्य संख्या (हजार में)	हिस्सा पूंजी	सुरक्षित निधि	जमा राशि	कार्यशील पूंजी
1	2	3	4	4	6	7
2010-11	8463	9765	9542.72	282.14	17532.91	49812.32
2011-12	8463	9972	9601.42	302.18	17431.35	50816.28
2012-13	8463	10010	9605.62	305.25	17842.58	51132.18
2013-14	8463	10563	9606.17	306.71	18272.78	51867.29
2014-15	8463	10607	9610.57	311.11	18272.78	51911.69

II. प्रो० बैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसाओं पर आधारित पुनरोद्धार योजना

राज्य में अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं के वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने, प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने एवं संस्थागत सुधार लाने हेतु बैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसाओं के आलोक में भारत सरकार द्वारा तैयार पुनरोद्धार पैकेज के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यवाई की गई है :-

- पुनरोद्धार पैकेज अन्तर्गत अल्पकालीन सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता के रूप में पैक्सों हेतु 442.16 करोड़ रु., केन्द्रीय सहकारी बैंकों हेतु 360.79 करोड़ रु. एवं राज्य सहकारी बैंक हेतु 40.62 करोड़ रु. कुल 843.57 करोड़ रु. का पैकेज स्वीकृत।
- 843.57 करोड़ रु. का स्वीकृत पैकेज में राज्य सरकार की हिस्सेदारी पैक्सों हेतु 27.46 करोड़ रु., केन्द्रीय सहकारी बैंकों हेतु 18.24 करोड़ रु. एवं राज्य सहकारी बैंक हेतु 0.68 करोड़ रु. कुल 46.38 करोड़ रु. निर्धारित है। जिसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा पैक्सों हेतु 27.45 करोड़ रु. एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक 15.48 करोड़ रु. कुल 42.43 करोड़ रु. विमुक्त कर उपलब्ध करा दिया गया है।
- अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं के संदर्भ में बिहार सहकारी अधिनियम, 1935 में आवश्यक संशोधन कर बिहार सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2008 लागू।
- संशोधित अधिनियम अन्तर्गत इन संस्थाओं में राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी को कुल पूंजी के 25 प्रतिशत के अन्तर्गत सीमित करते हुए शेष हिस्सा पूंजी लगभग 74.88 करोड़ रु. को अनुदान मद में परिवर्तन।
- अल्पकालीन साख सहकारी संस्थाओं में समान लेखा प्रणाली/प्रबंधकीय सूचना प्रणाली लागू।
- पैक्सों द्वारा प्रबंधको की नियुक्ति।
- नियुक्त प्रबंधक एवं पैक्स के प्रबंधकारिणी सदस्य का क्रमिक रूप से जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।
- पैक्सों द्वारा व्यवसाय विकास योजना प्रारम्भ।

5. सुशासन के कार्यक्रम

सुशासन के कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारिता आन्दोलन को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य है। इसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं :-

1. पैक्सों का सुदृढ़ीकरण :-

पैक्सों को सुदृढ़ करने हेतु निम्नांकित कदम उठाये गये हैं :-

(क) भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि :-

समेकित सहकारी विकास परियोजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पैक्सों में भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत 805 पैक्सों में 100 मे.टन क्षमता के गोदाम बनवाये गये। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत 241 पैक्सों में गोदाम निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य योजना के तहत कृषि रोड मैप अन्तर्गत 819 पैक्सों में 200 मे.टन प्रति पैक्स एवं 100 पैक्सों में 1000 मे.टन प्रति पैक्स क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करा दी गई है। इसी प्रकार, वर्ष 2013-14 में गत वर्ष (2012-13) के बैकलॉग सहित कुल 1752 पैक्सों में गोदाम निर्माण कराया जाना था। इसके लिए वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कुल 136.35 करोड़ रु. की राशि समितियों को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2014-15 में बैकलॉग सहित कुल 1121 पैक्स/ व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण कराया जाना है जिससे कुल 3.261 लाख मे. टन भंडारण क्षमता का अभिवृद्धि हो सकेगा। इसके लिए 146.3208 करोड़ रुपये का आवंटन आदेश निर्गत है, जिसमें से 78.54 करोड़ राशि समितियों को उपलब्ध करा दिया गया है। शेष क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध कराना प्रक्रियाधीन है।

(ख) पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल की स्थापना :-

वर्ष 2008-09 में 40 पैक्सों में एवं वर्ष 2010-11 में 58 पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कुल 1284.00 लाख रु. उपलब्ध कराया गया है। इन 98 पैक्सों में से 59 पैक्सों में कार्य प्रारम्भ है जिसमें से 42 में पूर्ण हो गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय सहकारी विकास योजना के तहत कृषि रोड मैप अन्तर्गत 129 पैक्सों एवं 20 व्यापार मंडलों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित करने हेतु चयनित कर राशि स्वीकृत करते हुए क्रमिक रूप से उपलब्ध करा दी गई है। वर्ष 2014-15 में कुल 112 पैक्स/ व्यापार मंडलों में चालव मिल -सह- गैसीफायर संयंत्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है जिसके विरुद्ध 38.68 करोड़ रुपये का आवंटन आदेश निर्गत है, जिसमें से 23.73 करोड़ रुपये समितियों को उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष क्रमिक रूप से उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(ग) पैक्सों को जनवितरण प्रणाली से जोड़ना :-

पैक्सों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पैक्सों को जनवितरण प्रणाली का कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त कराया गया है। अब तक 4708 समितियों को अनुज्ञप्ति निर्गत हो चुकी है।

2. व्यापार मंडलों का सुदृढ़ीकरण :-

(क) प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल का पुनर्गठन किया गया है तथा पुनर्गठन के पश्चात् सभी व्यापार मंडलों में निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल करा दिया गया है।

(ख) समेकित सहकारी विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि रोड मैप अन्तर्गत गोदाम निर्माण कराया जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि रोड मैप अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 20 व्यापार मंडलों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित करने हेतु चयनित कर राशि स्वीकृत किया गया है एवं क्रमिक रूप से उपलब्ध

करा दी गई है। इसी क्रम में वर्ष 2014-15 में नव व्यापार मंडलों में चावल मिल -सह- गैसीफायर संयंत्र की स्थापना हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी है।

(घ) वर्ष 2014-15 में व्यापार मंडलों को धान / चावल अधिप्राप्ति हेतु अधिकृत किया गया है।

3. मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का पुनर्गठन :-

राज्य में मत्स्यपालन वकास के सम्भाव्यता के उद्देश्य से एक प्रखंड में मात्र एक मत्स्यजीवी सहकारी समिति के गठन के निर्णय के तहत एक प्रखंड में पूर्व से सहकारिता अधिनियम, 1935 एवं स्वावलम्बी सहकारी अधिनियम, 1996 के तहत गठित सभी मत्स्यजीवी सहयोग समिति को पुनर्गठित कर प्रखंड स्तर पर मात्र एक प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत गठित किया गया है। 379 प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है। इसका गठन का उद्देश्य विभिन्न मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के बीच निरंतर चलने वाले जलकर विवाद के जड़ को समुल नष्ट कर प्रखंड के सभी मत्स्यपालकों को एक छतरी के नीचे लाकर उनका आर्थिक विकास करना है। पुनर्गठित सभी प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी समितियों में चुनाव प्राधिकार द्वारा निर्वाचन सम्पन्न कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल करा दिया गया है।

4. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2011 का अधिनियमन :-

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित सभी प्रकार के सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा हो, इसके लिए बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

5. सहकारी समितियों के प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी पंचायत की भाँति सुनिश्चित करने हेतु क्रमांक-5, बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 में कतिपय संशोधन वर्ष 2013 में किया गया।

6. बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2013 का अधिनियमन :-

बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित सभी प्रकार की स्वावलम्बी सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन अधिनियम, 2008 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा हो, इसके लिए बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

7. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के प्रावधानान्तर्गत विभिन्न प्रकार के वादों का निष्पादन :-

1. बिहार सहकारी, समितियाँ, अधिनियम 1935 के तहत राज्य में सहकारिता विभाग के अधीन समितियों एवं सदस्यों, समितियों-समितियों, समितियों एवं अन्य के बीच के विवादों के निस्तारण हेतु विभागीय स्तर पर शीर्ष न्यायालय के रूप में न्यायालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार का न्यायालय कार्यरत है। इसके अधीन मुख्यालय स्तर पर तथा क्षेत्रीय स्तर पर अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार के न्यायालय से लेकर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, तक के (अंचल स्तर) न्यायालय कार्यरत है।

बिहार सहकारी, समितियाँ, अधिनियम 1935 के तहत राज्य में सहकारिता विभाग के अधीन समितियों एवं सदस्यों, समितियों-समितियों, समितियों एवं अन्य के बीच के विवादों के निस्तारण हेतु विभागीय स्तर पर शीर्ष न्यायालय के रूप में न्यायालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार का न्यायालय कार्यरत है। इसके अधीन मुख्यालय स्तर पर तथा क्षेत्रीय स्तर पर अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार के न्यायालय से लेकर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, तक के (अंचल स्तर) न्यायालय कार्यरत है।

2. न्यायालय, निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार एवं मुख्यालय स्तर पर के अपर निबंधक तथा अन्य न्यायालयों के लिए दो सुनवाई कक्षों का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं उसमें 01

जुलाई 2014 से न्यायालय कार्य किया जा रहा है। दूसरा कक्ष प्रावधानित था एवं इसके निर्माण की दिशा में प्रबंधन स्तर से कार्य किया जा रहा है।

3. इसके अतिरिक्त न्यायालय में रिकार्ड कीपिंग के कार्य हेतु रिकार्ड रूम का भी निर्माण चल रहा है, जिसमें न्यायालय से संबंधित रिकार्ड कीपिंग की जा सके। तत्कालिक तौर पर कमरा संख्या-253 का उत्तर-पश्चिम कक्ष रिकार्ड रूम के रूप में अधिसूचित किया गया है।
4. वादों की सुनवाई हेतु तिथि संबंधी सूचनाएँ संबंधित व्यक्तियों एवं विद्वान अधिवक्ताओं को उनके उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर SMS के माध्यम से सूचित की जाती है। इस क्रम में न्यायालय, निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार पूरे बिहार में न्यायालय/अर्द्ध न्यायालयों में प्रथम न्यायालय है, जहाँ से विद्वान अधिवक्ताओं को SMS के माध्यम से सुनवाई हेतु सूचित करने की प्रक्रिया नवम्बर 2013 से आरंभ की गई है।

यह प्रणाली विभागीय वेबसाइट पर वाद सूची के प्रकाशन के अतिरिक्त है।

5. इस आलोक में वर्तमान विद्वान न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार द्वारा 31.03.2014 तक चल रहे कुल 653 वादों में से 180 वादों का निष्पादन किया गया था। जबकि 01.04.2014 से 31.12.2014 तक कुल 436 वादों की फाइलिंग न्यायालय में की गई है। इस क्रम में 31.12.2014 तक विद्वान न्यायालय द्वारा कुल 140 वादों का निस्तारण किया गया है जबकि इसके अतिरिक्त न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियाँ बिहार द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लगभग 195 वादों को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया गया है।
6. न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा न्यायिक गतिविधियों को सुगम और सहज बनाने के लिए विभिन्न अधिनस्थ न्यायालयों को भी न्यायिक गतिविधियों से संबंधित दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं ताकि विवादों का समाधान यथाशीघ्र हो सके एवं विवादों को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके।

8. केन्द्रीय सहकारी बैंकों का पुनर्गठन एवं सुदृढीकरण :-

पंचायत स्तर पर पैक्स, प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के पुनर्गठन के साथ-साथ इन समितियों की केन्द्रीय एवं वित्त प्रदायी संस्था जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सुदृढ किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के 4 केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा पूर्णियाँ, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजना से 6406.00 लाख रु. वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया गया था। फलस्वरूप राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त हो गया है। वैसे जिला जहाँ पूर्व से केन्द्रीय सहकारी बैंक गठित नहीं है अथवा परिसमापित हैं, वैसे जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक की गठन की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है। तत्काल जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक परिसमापनाधीन है उन जिलों में राज्य सहकारी बैंक की शाखा/विस्तारित शाखा कार्य कर रही है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखाओं द्वारा कोर बैंकिंग प्लेटफार्म पर कार्य संचालन किया जा रहा है।

9. मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण :-

ई-गवर्नेन्स के तहत सहकारिता विभाग के सरकार एवं निदेशालय के कमरों को आधुनिक रूप प्रदान किया गया है साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालयों को आधुनिक रूप प्रदान करने के निमित्त क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु वाहन, फर्निचर, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था की जा रही है।

10. धान/गेहूँ अधिप्राप्ति :-

सहकारिता विभाग राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का न्यूनतम सरकारी समर्थन मूल्य सुलभ कराने हेतु पैक्सों/व्यापारमंडलों के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस प्रकार एक ओर जहाँ कृषकों को उनके उत्पाद का सरकारी समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है वहीं दूसरी ओर पैक्सों द्वारा अधिप्राप्ति व्यवसाय से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है।

प्रदेश के कृषकों को खुशहाल बनाने में पैक्सों द्वारा संचालित यह एक महत्वपूर्ण कार्य है।

6. सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निबंधित सहकारी समितियों के लेखा का प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण, वैधानिक अनिवार्यता है। निबंधक, सहयोग समितियाँ के नियंत्रणाधीन अंकेक्षण पदाधिकारियों द्वारा सहकारी समितियों के वैधानिक अंकेक्षण जाँच अंकेक्षण, एवं विशेष अंकेक्षण सम्पन्न किये जाते हैं। सहकारी समितियों के अंकेक्षण का मूल उद्देश्य समितियों के वार्षिक लेखाओं का अधिनियम, नियमावली एवं समिति के उपविधि प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच कर समिति की वास्तविक स्थिति का मुल्यांकन/सत्यापन/त्रुटियों/ अनियमितताओं/दायित्वों का निर्धारण एवं सुधारत्मक उपायों का परामर्श देना है। सहकारी समितियों का अंकेक्षण हेतु विभागीय अंकेक्षण के अतिरिक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स का पैनल भी निबंधक, सहयोग समितियों द्वारा स्वीकृत है, जिन्हें अंकेक्षण मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समितियों के अंकेक्षण का दायित्व सौंपा गया है।

विगत 5 वर्षों में सहकारी समितियों में अंकेक्षण की प्रगति निम्नवत है।

वर्ष	अंकेक्षण सहकारी समितियों का संख्या			
	पैक्स	व्यापार मंडल	अन्य	कुल
2010-11 (मार्च तक)	2046	13	—	2059
2011-12 (मार्च तक)	1939	11	15	1965
2012-13 (मार्च तक)	1567	21	14	1602
2013-14 (मार्च तक)	2373	29	205	2607
2014-15 (दिसम्बर तक)	1858	16	46	1920

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा-33 (यथा संशोधित 2013) के प्रावधानों के आलोक में सहकारी समिति के लेखाओं का वैधानिक अंकेक्षण समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त, विभाग के सूचीबद्ध सनदी लेखाकार के पैनल या निबंधक, सहयोग समितियाँ, के कार्यालय के अंकेक्षकों के द्वारा कराये जाने का प्रावधान है।

सनदी लेखाकार पैनल के अंकेक्षकों के लिए विभागीय परिपत्र के अन्तर्गत अंकेक्षक शुल्क का निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश भी निर्गत है। इस परिपत्रानुसार विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का अंकेक्षण शुल्क वार्षिक कारोबार अथवा कार्यशील पूंजी के आधार पर निर्धारण करने की व्यवस्था की गयी है।

बिहार सहकारी समिति नियमावली 1959 के अनुसार सहकारी समितियों को सहकारिता वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अन्दर समिति का अंतिम लेखा विवरणी निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं अंकेक्षक को समर्पित कर देना है। अंतिम लेखा विवरणी प्रबंधकारिणी समिति द्वारा तैयार नहीं किये जाने के स्थिति में निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा उसे सशुल्क तैयार करने का भी प्रावधान है। यदि समिति जान-बुझ कर अपना लेखा एवं अभिलेख अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराते हैं तो अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।

बिहार स्वावलम्बी सहकारी अधिनियम 1996 के अनुसार सहकारी समितियों को सहकारिता वर्ष की समाप्ति के पाँच माह के अन्दर विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग समितियाँ, को उपलब्ध कराना है। जिसमें अंकेक्षित लेखा भी शामिल है। उक्त प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के अपराध में कारावास अथवा जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है।

7. महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान

i) बिहार राज्य सहकारी संघ लि०

सहकारिता प्रक्षेत्र में बिहार राज्य सहकारी संघ लि० सबसे पुरानी राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्था है। इसका गठन वर्ष 1917-18 में हुआ है, इसका निबंधन संख्या 210/1917-18 है। इस संघ का अपना भवन बुद्ध मार्ग, पटना में अवस्थित है। इस संस्था का मुख्य कार्य सहकारी शिक्षा का प्रचार-प्रसार, सहकारी सम्मेलन, सहकारिता सप्ताह का आयोजन एवं सहकारी सेमिनार आयोजित करना रहा है। यह राज्य में निबंधित सभी प्रकार के सहकारी समितियों की एक शीर्ष संस्था है। राज्य के सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं, केन्द्रीय एवं प्राथमिक सहकारी समितियाँ अनिवार्य रूप से इस संस्था के सदस्य हैं। यह संघ सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, समिति के कार्यकारिणी सदस्यों एवं आम सदस्यों को शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी शिक्षा की जानकारी प्रदान करती है। साथ ही साथ सहकारी प्रक्षेत्रों में चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में प्रशिक्षित भी करती है। इस संस्था की आय का मुख्य स्रोत अपने सदस्य समितियों से वसूल की गयी लेवी है। इसके अतिरिक्त फेडरेशन हॉल, गेस्ट रूम आदि के आरक्षण से प्राप्त होने वाली राशि को भी आय का स्रोत बनाया गया है। स्टाफ की कमी के कारण लेवी की वसूली भी नहीं हो पाता है। वर्तमान में इस संघ का दैनिक कार्य फेडरेशन हॉल एवं गेस्ट रूम के आरक्षण से प्राप्त आय द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

विगत चार वर्ष में संघ का उपलब्धि निम्नवत् है :-

क्रमांक	क्रियाकलाप	उपलब्धि			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक)
1	2	3	4	5	6
1	फेडरेशन लेवी की वसूली	282246 रु०	92277 रु०	335273 रु०	26191.00
2	आरक्षण से आय	569747 रु०	378356 रु०	126000 रु०	17300.00

दिसम्बर 2014 तक किराया से कुल 429040 रु० आय की प्राप्ति हुई।

ii) बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ लि०

उपभोक्ता प्रक्षेत्र में यह राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थान है। इस संघ का निबंधन वर्ष 1965 में किया गया है। जिसका निबंधन संख्या- 2 पैट/1965 है। इस संस्था का मुख्य कार्य केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार एवं उपभोक्ता व्यवसाय में संलग्न व्यापार मंडलों को थोक दर पर उपभोक्ता सामग्रियों की आपूर्ति करता रहा है। संघ का कुल हिस्सा पूंजी 244.53 लाख रु० है, जिसमें राज्य सरकार का अंशदान 239.57 लाख रु० है। इस संघ से लगभग राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार सम्बद्ध हैं। अत्यधिक स्थापना व्यय एवं व्यवसायिक घाटे के कारण इस संघ का आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही जर्जर हो गया है। फलस्वरूप इस संघ का कारोवार लगभग ठप है।

iii) केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्त परिक्षेत्र में यह केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता समिति के रूप में गठित है। इस समिति का गठन लगभग सभी पुराने अनुमंडलों में है। बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ की वित्तीय स्थिति जर्जर हो जाने का कुप्रभाव केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार पर भी परिलक्षित होता है। अधिकांश केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार मृत प्रायः हो गया है।

केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार के विगत तीन वर्षों का कार्य कलाप एवं वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :-

(रुपयें लाख में)

वर्ष	समिति की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सा पूंजी	कार्यशील पूंजी	किये गये व्यवसाय की राशि
2012-13	61	27502	148.35	213.11	N.A.
2013-14	61	27495	148.33	214.01	243.13
2014-15 (दिसंबर 2014 तक)	61	27502	148.35	213.11	260.71

iv) प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता परिक्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गठित है। इसका कार्यक्षेत्र शहरों तक ही सीमित है। इसका मुख्य कार्य शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण रहा है। अधिकांश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लगभग निष्क्रिय हैं। कुछ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार जनवितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न हैं।

प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार का तीन वर्षों का कार्य कलाप निम्नवत् है :-

(रुपयें लाख में)

वर्ष	समिति की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सा पूंजी	कार्यशील पूंजी	किये गये व्यवसाय की राशि
2012-13	1813	104692	41.58	136.12	1110.12
2013-14	1813	104678	41.58	138.75	135.41
2014-15 (दिसंबर 2014 तक)	1813	104692	41.58	136.12	558.62

v) व्यापार मंडल

व्यापार मंडल सहयोग समितियाँ प्रखंड स्तर की पणन सहकारी समिति है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनके कृषि उत्पाद में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं यथा खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि की व्यवस्था के साथ-साथ कृषि उत्पाद का पणन रहा है। राज्य में गठित सभी व्यापार मंडल राज्य स्तर पर गठित पणन शीर्ष सहकारी संस्था (बिस्कोमान) से सम्बद्ध है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) अनिवार्य रूप से व्यापार मंडल के सदस्य होते हैं। बिस्कोमान की

आर्थिक स्थिति जर्जर होने का कुप्रभाव व्यापार मंडल पर भी पड़ा है। प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल का पुनर्गठन कर लगभग प्रत्येक प्रखंड में व्यापार मंडल का गठन किया गया है। गठित व्यापार मंडलों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य में 521 प्रखंड स्तरीय व्यापार मंडल गठित हैं।

वगत तीन वर्षों में व्यापार मंडल की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :-

(रुपयें लाख में)

वर्ष	व्यापार मंडल की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सा पूंजी	कार्यशील पूंजी	किये गये व्यवसाय की राशि
2012-13	521	16783	846.06	892.16	1812.12
2013-14	521	167873	846.06	892.16	528.08
• 2014-15 (दिसंबर 2014 तक)	521	175058	844.89	901.19	645.40

8. बिहार राज्य भंडार निगम

बिहार राज्य भंडार निगम “Central Warehousing Corporation Act, 1962” के तहत गठित ग्रामीण एवं शहरी भंडारण व्यवसाय से सम्बन्धित संस्था है। अधिसूचना संख्या 3240 दिनांक 12.12.1996 द्वारा बिहार राज्य भंडार निगम को सहकारिता विभाग द्वारा राज्य भंडारण एजेन्सी के रूप में अधिसूचित किया गया है। सहकारिता विभाग अन्तर्गत मात्र यही एक लोक उपक्रम है।

निगम का मुख्य कार्य कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पाद के साथ-साथ अन्य संस्थाओं की सामग्रियों यथा खाद्यान्न, खाद आदि का भंडार निगम द्वारा भंडार गृहों का निर्माण किया जाता है। इस निगम के आय का मुख्य श्रोत अपने गोदामों से प्राप्त भंडारण शुल्क एवं परिवहन तथा हाथालन शुल्क है। निगम कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के साथ-साथ कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित कृषि उत्पाद के भंडारण हेतु प्रशिक्षित भी करती है। निगम द्वारा भंडार गृहों के अर्जन के साथ-साथ भंडार गृहों का निर्माण भी करायी जाती है।

निगम का अधिकृत हिस्सापूँजी 10.00 करोड़ रुपये है। प्रदत्त हिस्सापूँजी 642.00 लाख है। निगम में बिहार सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम का 50-50 प्रतिशत हिस्सापूँजी निवेश है।

निगम को सहकारिता विभाग द्वारा राज्य योजना से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अतिरिक्त भंडारण क्षमता के सृजन हेतु पूर्व के वर्षों यथा वर्ष 2007-08 में 1929.30 लाख रु. एवं वर्ष 2008-09 में 374.00 लाख रु. उपलब्ध कराया गया है जिसके फलस्वरूप निगम द्वारा 40 हजार मे.टन क्षमता का गोदाम बनाया गया है तथा 10000 मे.टन क्षमता का गोदाम निर्माणाधीन है जिसे पूर्ण करने के लिए वर्ष 2013-14 में 6.30 करोड़ रु. स्वीकृत किया गया है।

वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की उपलब्धि

- राज्य में किसानों के खाद्यान्न के अधिप्राप्ति के लिए भंडारण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान।
- कुल भंडारण क्षमता – 2.90 लाख मे. टन
- गोदाम निर्माण :

(क) वर्ष 2012-13 में विभागीय गोदाम का निर्माण पूर्ण	10,310 मे. टन
(ख) सात वर्षीय गारंटी योजना अंतर्गत ग्रामीण गोदाम निर्माण पूर्ण	35,000 मे. टन
(ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत निर्माण पूर्ण	50,000 मे. टन
(घ) पी.पी.पी. मोड योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण	85,000 मे. टन
(ङ) पी.पी.पी. मोड योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर	4,55,000 मे. टन
- राज्य सरकार के कृषि रोड मैप योजना अन्तर्गत 2012-13 से 2014-15 में 13 स्थलों पर कुल 3.40 लाख मे. टन क्षमता के गोदाम निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 2014-15 के लिए 5 स्थलों पर कुल 1.30 लाख मे. टन के लिए टेंडर प्रक्रिया में।

व्यवसाय एवं लाभ में वृद्धि

	2013-14	2014-15 (अनुमानित)
कुल आय	रु. 11086.85 लाख	रु. 12808.92 लाख
लाभ	रु. 1022.26 लाख	रु. 1572.05 लाख

- भंडारण शुल्क में किसानों एवं सहकारी संस्थानों को 10% से 30% तक की छूट।
- अंशधारियों यथा, राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम को 20% लाभांश।

निगम का भौतिक एवं वित्तीय कार्यकलाप निम्नवत् है :-

भौतिक उपलब्धि

क्र.सं.	वर्ष	भंडारण क्षमता (लाख मे.टन में)	आभोग (लाख मे.टन में)	आभोग का प्रतिशत	सकल आय (रु. लाख में)	लाभ (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2012-13	31.99	29.40	92	8365.33	735.12
2	2013-14	34.69	31.00	90	11086.85	1022.26
3	2014-15 (दिसंबर 2014 तक)	26.23	22.08	87	*12808.92	*1572.05

*अनैमानित

वित्तीय उपलब्धि

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरणी	वर्ष		
		2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5
1	अधिकृत हिस्सा पूंजी			
	(क) केन्द्रीय भंडार निगम	500.00	500.00	500.00
	(ख) राज्य सरकार	500.00	500.00	500.00
	(ग) कुल	1000.00	1000.00	1000.00
2	प्रदत्त हिस्सा पूंजी			
	(क) केन्द्रीय भंडार निगम	321.00	321.00	321.00
	(ख) राज्य सरकार	321.00	321.00	321.00
	(ग) कुल	642.00	642.00	642.00
3	व्यवसाय से कुल आय	8365.33	11086.85	12808.92
4	शुद्ध लाभ	735.11	1022.26	1572.05
5	बैंक ऋण	0.00	0.00	0.00

निगम का भंडारण शुल्क निम्नवत् है :-

खाद्यान्न -	₹ 67.60 प्रति टन प्रति माह
उर्वरक -	₹ 45.00 प्रति टन प्रति माह
क्षेत्रफल दर -	₹ 11.06 प्रति वर्गफीट प्रति माह
सहकारी संस्थान/समिति -	10 प्रतिशत का छूट
कृषकों के कृषि उत्पाद का भंडारण -	30 प्रतिशत का छूट

मुख्य जमाकर्ता

भारतीय खाद्य निगम, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, इफको, जनगणना निदेशालय, आर.सी.एफ.लि., पुस्तक निगम, बी.एस.एन.एल., शिक्षा परियोजना, व्यापारी, किसान, बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लि0 इत्यादि।

हिस्सा पूंजी से गोदाम का निर्माण

- मुजफ्फरपुर में 4310 मे.टन एवं कसबा जिला-पूर्णियाँ में 6000 मे.टन के गोदाम का निर्माण कार्य निगम द्वारा वर्ष 2012-13 में पूरा किया जा चुका है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

- वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रारंभ राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 26.30 करोड़ की लागत से फतुहा - 10000 मे.टन, छपरा- 10000 मे.टन, समस्तीपुर- 10000 मे.टन, मोतिहारी- 5000 मे.टन एवं मोहनियाँ में 5000 मे.टन क्षमता, आरा में 5000 मे. टन एवं सासाराम में 5000 मे.टन क्षमता के गोदामों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

बिहार कृषि रोड मैप के अन्तर्गत

- बिहार कृषि रोड मैप योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-17 तक निगम के लिए 10.00 लाख मे.टन क्षमता के गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 में 18 स्थलों पर कुल 6.50 लाख मे.टन क्षमता अभिवृद्धि के लिए गोदाम निर्माण का कार्य चल रहा है। इस योजनान्तर्गत भूखंड सरकार द्वारा कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) प्रांगणों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा तथा योजना लागत का 10% सहायकी के रूप में सरकार द्वारा उपलब्ध कराने तथा ऋण के ब्याज की राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

परिशिष्ट - I

विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ

- सहकारिता आन्दोलन के क्रम में सहकारी समितियों की संगठनात्मक संरचना त्रिस्तरीय यथा शीर्ष (Apex), केन्द्रीय एवं प्राथमिक है।
- समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग उद्देश्यों के अनुरूप साख (Credit) एवं गैर-साख (Non-Credit) सहकारी समितियाँ शहरों एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में गठित हैं।
- कृषि साख की सुविधा हेतु राज्य स्तरीय बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. एवं पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति गठित हैं।
- कृषि उत्पाद का पणन एवं भंडारण के निमित्त पणन सहकारी समितियाँ तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु उपभोक्ता भंडार गठित हैं।
- कृषि के क्षेत्र में व्यवसायिक दृष्टिकोण के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादक, कुकुटपालन आदि समितियाँ गठित हैं।
- श्रमिकों के हितार्थ श्रमिक सहकारी समितियाँ गठित हैं।
- रोजगार पूरक के रूप में चर्मकार, आद्योगिक, नाव यातायात, परिवहन आदि समितियाँ गठित हैं।
- सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी तथा विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बचत भावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बचत एवं साख सहकारी समितियाँ गठित हैं।
- बुनकरो के हितार्थ बुनकर सहकारी समितियाँ गठित हैं तथा राज्य के कमजोर वर्ग धुनियाँ, रंगरेज एवं दर्जी के कल्याणार्थ राज्य स्तर पर "धुरद" शीर्ष सहकारी संस्थान भी गठित हैं।
- समाज के सबसे कमजोर वर्ग महिलाओं के हितार्थ महिला सहकारी समिति भी प्राथमिक स्तर पर गठित हैं।
- मत्स्य विकास की अपार सम्भावनाओं के मद्देनजर जलकरों की बन्दोवस्ती परम्परागत मछुआरों के साथ करने के उद्देश्य से पूर्व से सहकारी समिति अधिनियम, 1935 एवं स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत गठित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को पुनर्गठित कर सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ भी गठित हैं।

परिशिष्ट - II

राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या :-

1. प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)	—	8463
2. व्यापार मंडल सहयोग समिति	—	521
3. सहकारी उपभोक्ता भंडार (केन्द्रीय+प्राथमिक)	—	1874
4. प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति	—	379
5. बचत एवं साख सहयोग समिति	—	327
6. गृह निर्माण सहयोग समिति	—	2741
7. औद्योगिक सहयोग समिति	—	2647
8. विशेष प्रकार की सहकारी समिति	—	393
9. कुकुटपालन सहयोग समिति	—	237
10. शीत भंडार सहकारी समिति	—	50
11. श्रमिक सहकारी समिति	—	4577
12. ग्रामोदय सहकारी समिति	—	844
13. महिला विकास सहयोग समिति	—	430
14. बुनकर सहयोग समिति	—	1089
15. फलसब्जी उत्पादक सहयोग समिति	—	342
16. तेल उत्पादक सहयोग समिति	—	474
17. दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	—	4279
18. ताड़ गुड़ उत्पादक सहयोग समिति	—	76
19. सिंचाई सहयोग समिति	—	557
20. संयुक्त कृषि सहयोग समिति	—	406
21. नाव यातायात सहयोग समिति	—	89
22. चर्मकार सहयोग समिति	—	187
23. परिवहन सहयोग समिति	—	172
24. सर्वोदय सहयोग समिति	—	54
25. सभी प्रकार के स्वावलम्बी सहयोग समिति	—	7887
		39095

(नोट:- पैक्स व्यापार मंडल एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को छोड़कर अन्य प्रकार की कुछ समितियाँ मृत प्रायः हैं जिसे परिसमापित किया जा रहा है।)

परिशिष्ट - III

जिलावार सहकारी समितियों की संख्या जिन्हें गोदाम निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई

क्र.सं.	जिला का नाम	2010-11	2011-12	2012-13			2013-14		2014-15		कुल
				1000 मै.टन.	500 मै.टन	200 मै.टन.	200 मै.टन.	500 मै.टन.	200 मै.टन	500 मै.टन	
1	बौंका	2	20	2	—	20	12	—	12		68
2	भागलपुर	—	2	2	2	19	4	—	33		62
3	समस्तीपुर	3	—	3	6	50	45	—	38	2	147
4	दरभंगा	—	—	3	1	3	30	—	34	4	75
5	मधुबनी	—	—	7	4	33	31	—	21		96
6	गया	—	—	—	—	32	86	9	42	5	174
7	नवादा	2	—	2	—	30	60	—			94
8	औरंगाबाद	1	38	12	10	67	20	—	29		177
9	जहानाबाद	—	—	—	—	15	17	—	31	6	69
10	अरवल	—	—	2	2	12	—	—	6		22
11	लखीसराय	5	3	1	—	11	—	—	10	3	33
12	बेगूसराय	—	5	2	4	24	10	—	7		52
13	मुंगेर	—	—	—	—	27	—	—	4		31
14	जमुई	—	—	2	7	8	37	—	37	3	94
15	शेखपुरा	—	—	1	—	18	1	—	3	3	26
16	खगड़िया	—	—	2	—	—	—	—	11		13
17	सीवान	20	—	2	4	20	51	—	9		106
18	गोपालगंज	4	—	—	5	20	—	—	34		63
19	सारण	—	8	—	2	17	—	3	3	1	34
20	रोहतास	10	16	5	—	40	76	4	1	2	154
21	भोजपुर	6	9	4	—	30	—	2	8	4	63
22	पटना	19	—	1	1	50	32	1	10		114
23	कैमूर	12	—	—	1	—	—	—	8		21
24	नालन्दा	8	—	8	2	—	—	2	1	1	22
25	बक्सर	—	3	—	1	28	45	—	2		79
26	मुजफ्फरपुर	15	7	4	7	53	53	6	7		152
27	बेतिया	11	—	6	—	20	39	5	1	10	92
28	वैशाली	2	—	3	1	—	—	—	5	2	13
29	मोतीहारी	—	—	5	1	20	24	—			50
30	सीतामढ़ी	—	—	1	—	20	22	1	33	2	79
31	शिवहर	—	—	—	1	—	—	—	3		4
32	सुपौल	—	8	4	2	21	47	2	14	1	99
33	मधेपुरा	—	—	3	3	20	19	3	11	1	60
34	सहरसा	—	—	1	—	11	55	—		1	68
35	पूर्णिया	—	12	5	1	20	20	—			58
36	अररिया	—	—	3	2	20	6	—	52	4	87
37	कटिहार	—	—	2	1	10	25	2	15		55
38	किशनगंज	—	—	2	7	30	17	—			56
कुल—		120	131	100	78	819	884	40	535	55	2762

जिलावार सहकारी समितियों की संख्या जिन्हे गैसी फायर-सह-चावल मिल निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई

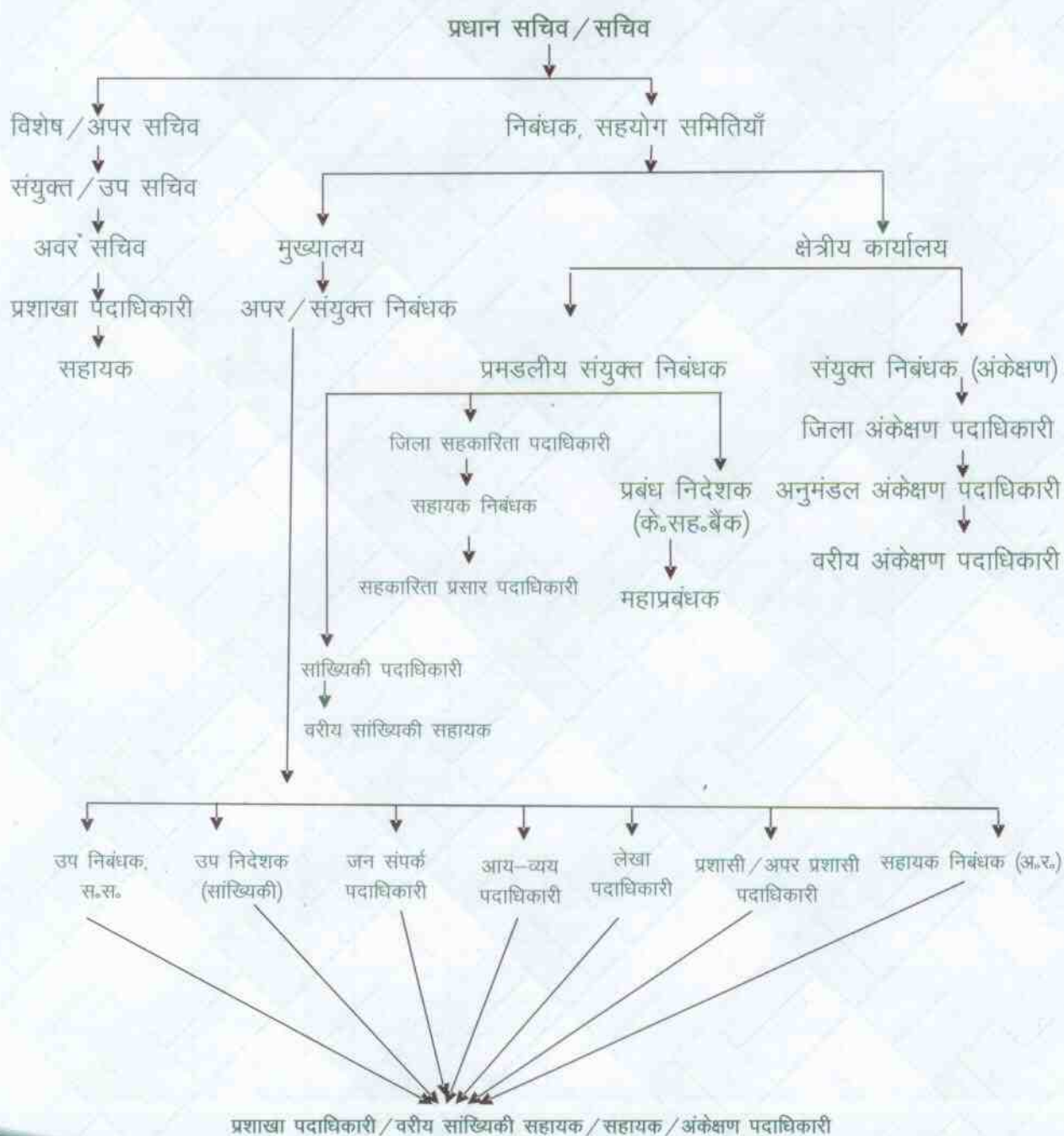
क्र.सं.	जिला का नाम	2008-09	2010-11	2012-13		2013-14		2014-15		कुल
				पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	
1	बौंका	1	1	1	—	3	—	—	—	6
2	भागलपुर	2	2	2	1	4	1	—	—	12
3	समस्तीपुर	—	2	2	—	3	1	—	—	8
4	दरभंगा	—	1	1	1	2	—	3	1	9
5	मधुबनी	—	1	1	1	4	1	1	—	9
6	गया	2	2	2	—	3	—	1	—	10
7	नवादा	1	1	1	—	—	—	—	—	3
8	औरंगाबाद	3	6	7	—	5	—	—	—	21
9	जहानाबाद	1	—	1	—	3	—	1	—	6
10	अरवल	—	—	1	—	2	—	—	—	3
11	लखीसराय	—	3	1	—	2	—	1	—	7
12	बेगूसराय	—	—	1	—	—	—	—	—	1
13	मुंगेर	—	—	1	1	4	—	—	—	6
14	जमुई	—	—	2	—	4	1	—	3	10
15	शेखपुरा	—	—	2	—	3	1	—	—	6
16	खगड़िया	1	—	1	—	—	—	—	—	2
17	सीवान	3	4	2	—	3	1	—	—	13
18	गोपालगंज	—	—	3	—	4	—	3	—	10
19	सारण	—	—	1	1	1	—	1	—	4
20	रोहतास	2	3	5	1	3	—	14	3	31
21	भोजपुर	1	1	2	—	4	—	—	—	8
22	पटना	3	2	1	—	—	—	1	—	7
23	कैमूर	2	4	1	—	1	—	6	—	14
24	नालन्दा	—	3	6	1	4	—	5	—	19
25	बक्सर	2	4	2	1	2	1	4	—	16
26	मुजफ्फरपुर	3	1	2	—	4	—	—	—	10
27	बेतिया	1	4	2	1	2	—	6	—	16
28	वैशाली	2	3	3	—	2	—	—	—	10
29	मोतीहारी	3	1	3	—	2	—	1	—	10
30	सीतामढ़ी	2	3	1	—	—	—	3	—	9
31	शिवहर	—	—	1	—	3	—	1	—	5
32	सुपौल	1	1	1	—	1	1	3	1	9
33	मधेपुरा	—	2	2	—	5	—	1	—	10
34	सहरसा	—	—	1	—	3	—	2	—	6
35	पूर्णिया	—	1	2	1	3	1	—	1	9
36	अररिया	—	—	2	—	3	—	2	—	7
37	कटिहार	2	2	1	—	—	1	—	—	6
38	किशनगंज	2	—	2	—	2	1	—	—	7
कुल		40	58	73	10	94	11	60	9	355

परिशिष्ट - IV

(विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना)

सहकारिता विभाग का निम्न स्वरूप है जिनके अन्तर्गत सचिवालय एवं निदेशालय क्रमशः प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ के अन्तर्गत पृथक-पृथक कार्यरत है।

निम्नांकित चार्ट से संगठनात्मक स्वरूप परिलक्षित होगा :-



परिशिष्ट - V

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रमंडल स्तर पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण), जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी तथा अनुमंडल स्तर पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय हैं।

प्रमंडलवार कार्यालयों का विवरण निम्नांकित हैं :-

प्रमंडल	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय	प्रमंडल	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय
1	2	3	4	5
1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना	1. पटना सदर 2. बाढ़ 3. पटनासिटी 4. दानापुर 5. मसौड़ी	1. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना
	2. नालन्दा	6. बिहारशरीफ 7. हिलसा		2. नालन्दा
	3. भोजपुर	8. आरा		3. भोजपुर
	4. बक्सर	9. बक्सर 10. डुमराँव		4. रोहतास
	5. रोहतास	11. सासाराम 12. बिक्रमगंज		
	6. कैमूर	13. कैमूर		
2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	7. गया	14. गया 15. शेरघाटी	2. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	5. गया
	8. जहानाबाद	16. जहानाबाद		6. औरंगाबाद
	9. अरवल	17. अरवल		7. नवादा
	10. औरंगाबाद	18. औरंगाबाद		
	11. नवादा	19. नवादा		
3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	12. मुजफ्फरपुर	20. मुजफ्फरपुर पूर्वी 21. मुजफ्फरपुर पश्चिमी	3. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	8. मुजफ्फरपुर
	13. वैशाली	22. हाजीपुर		9. वैशाली
	14. सीतामढ़ी	23. सीतामढ़ी 24. पुपरी		10. सीतामढ़ी
	15. शिवहर	25. शिवहर		
	16. मोतिहारी	26. मोतिहारी 27. सिकरहना		11. मोतिहारी
	17. बेतिया	28. बेतिया 29. बगहा		12. बेतिया

4. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	18. दरभंगा	30. दरभंगा 31. बेनीपुर	4. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	13. दरभंगा
	19. मधुबनी	32. मधुबनी 33. झंझारपुर 34. बेनीपट्टी		14. मधुबनी
	20. समस्तीपुर	35. समस्तीपुर 36. दलसिंहसराय 37. रोसड़ा 38. पटोरी		15. समस्तीपुर
5. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	21. सारण	39. छपरा 40. सोनपुर	5. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	16. सारण
	22. सिवान	41. सिवान		17. सिवान
	23. गोपालगंज	42. गोपालगंज		18. गोपालगंज
6. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर	24. भागलपुर	43. भागलपुर 44. नवगछिया	6. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	19. भागलपुर
	25. बांका	45. बांका		20. मुंगेर
	26. मुंगेर	46. मुंगेर		
	27. जमुई	47. जमुई		
	28. शेखपुरा	48. शेखपुरा		
	29. लखीसराय	49. लखीसराय		
	30. बेगूसराय	50. बेगूसराय		21. बेगूसराय
	31. खगड़िया	51. खगड़िया		22. खगड़िया
7. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा	32. सहरसा	52. सहरसा 53. वीरपुर 54. त्रिवेणीगंज	7. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सहरसा एवं पूर्णियाँ प्रमंडल, सहरसा	23. सहरसा
	33. सुपौल	55. सुपौल		
	34. मधेपुरा	56. मधेपुरा 57. उदाकिशनगंज		
8. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	35. पूर्णियाँ	58. पूर्णियाँ		24. पूर्णियाँ
	36. अररिया	59. अररिया		
	37. किशनगंज	60. किशनगंज		
	38. कटिहार	61. कटिहार		25. कटिहार



राईस मिल सह गैसी फायर
नया गाँव, शिवहर



महमदपुर बदल पैक्स, मुरौल, मुजफ्फरपुर



लालगंज व्यापार मंडल, वैशाली



करमडीह पैक्स, आमस, गया



जगदीशपुर पैक्स, भागलपुर



धय हरणा पैक्स, बांका



राईस मिल सह गैसी फायर
ताजपुर पैक्स, शिवहर



राईस मिल सह गैसी फायर
महादेव सिमरिया पैक्स, जमुई



200 एम.टी. क्षमता का गोदाम
रामपुर पैक्स, गया



200 एम.टी. क्षमता का गोदाम
महादेव सिमरिया पैक्स, जमुई

